मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़

RNI No.: MPBIL/2001/5256
DAVP Code : 128101
Postal Registration No. : Bhopal/MP/581/2021-2023

Publish Date : Every Month Dt. 05
Posting Date : Every Month Dt. 15
Rs. 10/-

जगत विज़न

वर्ष : 25 अंक : 05

जनवरी 2025

- लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला है छत्तीसगढ़ के पत्रकार मुकेश चंद्राकार की हत्या
- मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के इशारों पर पत्रकार हो रहे दमन-अत्याचार के शिकार

मीडिया का गला घोंटता भ्रष्टतंत्र

मासिक द्विभाषी पत्रिका वर्ष 25 अंक 05 जनवरी 2025

प्रेरणा स्त्रोत : स्व. श्री जगत पाठक

निर्भीक पत्रकारिता

संपादक विजया पाठक
कार्यकारी संपादक समता पाठक
पश्चिम बंगाल ब्यूरो चीफ अमित राय

सम्पादकीय एवं विज्ञापन कार्यालय
भोपाल
एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल
मो. 98260-64596, मो. 9893014600
फोन : 0755-4299165 म.प्र. स्वत्वाधिकारी,

छत्तीसगढ़
4-विनायका विहार, रिंग रोड, रायपुर

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक,
विजया पाठक द्वारा समता ग्राफिक्स
एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल म.प्र. द्वारा कम्पोज एवं जगत प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स प्लाट नं. 28 सुरभि विहार बीडीए रोड भेल भोपाल से मुद्रित एवं एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल म.प्र. से प्रकाशित संपादक विजया पाठक। समस्त विवादों का कार्यक्षेत्र भोपाल सत्र-न्यायालय रहेगा। पत्रिका में प्रकाशित किये जाने वाले संपूर्ण आलेख एवं सामग्री की जिम्मेदारी लेखक एवं संपादक की होगी।
E-mail : jagat.vision@gmail.com
Website: www.jagatvision.co.in

(पृष्ठ क्र.-6)

- एक बार फिर सुर्खियों में यूनियन कार्बाइड का कचरा 29
- यूनियन कार्बाइड सियासत के घेरे में 40
- क्या दलितों के अत्याचार पर केन्द्रित रहा मोहन सरकार का एक साल? 44
- गूगल ने विलो क्वांटम चिप बनाकर तकनीक के क्षेत्र में किया कमाल 48
- पीकेसी नहीं, दशार्ण जल परियोजना नाम दिया जाये 52
- बस्तर के लोकगीतों में आज भी जिंदा है गुण्डाधूर 55
- कश्मीर : इतिहास का तोड़ना-मरोड़ना शांति की राह में बाधक 60
- Three parties in contention eyeing Dalit votes 62

जो हमसे टकराएगा...
...मिट्टी में गड़ जाएगा!

दिल्ली में गर्माया बांग्लादेशी घुसपेठियों का मुद्दा

लगभग एक महीने बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। जोर-शोर से घुसपैठियों का मुद्दा गरमाया हुआ है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, एनसीआर सहित देश के प्रमुख महानगरों तथा देश के विशेष समुदाय की सैकड़ों बस्तियों में घुसपैठिये अवैध रूप से बस गए हैं। लाखों बांग्लादेशी घुसपैठिये और रोहिंग्या देश के लिये गंभीर सुरक्षा के लिये खतरा बन चुके हैं। राजनैतिक कारण और कमजोर इच्छाशक्ति के चलते इस गंभीर विषय की अनदेखी की गई। शायद ही भारत का कोई भी बड़ा शहर, कस्बा हो जहां संदिग्ध रूप से कुछ बाहरी लोग हाल ही में न बसे हों। गृह मंत्रालय ने 1914 में भारत में अनुमानित बांग्लादेशियों की संख्या लगभग दो करोड़ बताई थी। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने बांग्लादेशियों के फर्जी दस्तावेज बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर 12 सदस्यों को गिरफ्तार किया है।

इस प्रकरण का दुखद पहलू यह है कि घुसपैठ का मुद्दा केवल चुनाव के दौरान जोरशोर से उठता है परंतु चुनाव के बाद इसकी तीव्रता धूमिल हो जाती है। यदि हम देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की ही बात करें तो सबसे प्रमुख बात तो यह है कि दिल्ली सरकार और पुलिस से यदि पूछा जाए कि दिल्ली में कितने रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं तो इसका उत्तर गोलमोल ही मिलता है। शायद राज्यों की पुलिस को भी नहीं पता कि कितने रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं ? हालांकि हाल ही में एलजी के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस द्वारा घुसपैठियों, रोहिंग्याओं के खिलाफतलाशी अभियान शुरू किया गया है। अच्छी बात है अब आप शासित दिल्ली नगर निगम ने भी अपनी तरफ से अभियान शुरू करने का फैसला लिया है।

एलजी ने दिल्ली पुलिस को अवैध अप्रवासियों की पहचान के लिए एक महीने तक विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिये और केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय करके आगे की कार्रवाई करने के लिये कहा है। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी एजेंसियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि शहर में कहीं भी सार्वजनिक स्थानों पर कोई अनधिकृत कब्जा न हो जैसा कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है। इस दौरान बीते 22 दिसंबर तक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जांच के दौरान मात्र 175 घुसपैठिये ही चिन्हित किये जा सके है। चूकि घुसपैठियों के खिलाफअभियान सीमित अवध के लिए है ऐसे में घुसपैठिये दिल्ली छोड़कर आसपास के जिलों गाजियाबाद आदि में भाग सकते है। ऐसे में फिर इस अभियान पर पलीता लगा सकता है। इसलिए जरूरत है एक समेकित, कारगर और दीर्घकालीन अभियान शुरू करने की।

इस प्रकरण का दूसरा नाकारात्मक पहलू यह है कि इस मुद्दे पर आप और भाजपा के बीच राजनैतिक बयानबाजी शुरू हो गई है जिससे इस अभियान की सफलता पर प्रश्नचिन्ह लग सकता है। आप का यह बयान कि घुसपैठियों के बहाने भाजपा पूर्वांचल निवासियों पर निशाना साध रही है जो कि बिल्कुल तथ्य से परे है। ऐसे बयानों से अभियान की तीव्रता बाधित हो सकती है। ज़ब एलजी और एमसीडी दोनों अपनी-अपनी ओर से घुसपैठियों के खिलाफअभियान चला रहे है तो ऐसे में विरोधाभासी बयान की क्या आवश्यकता है।

विजया पाठक

मीडिया का गला घोंटता भ्रष्टतंत्र

मीडिया की स्वतंत्रता पर समय-समय पर अंकुश लगाने का प्रयास किया जाता रहा है। यह अंकुश न सिर्फ पूर्व में लगाया जाता रहा है बल्कि वर्तमान में मीडिया की आवाज को रोकने और कलम की ताकत को दबाने के प्रयास जारी हैं। लेकिन देश में हो रहे अनाचार और दुराचार को सहन न करते हुये चौथे स्तंभ द्वारा जब-जब आवाज उठाई गई उस आवाज को दबाने की भरपूर कोशिश की गई। जरूरत पड़ी तो चौथे स्तंभ का गला तक घोंट दिया गया। बात चाहे मध्यप्रदेश की हो या छत्तीसगढ़ की हो। देश के हर एक प्रदेश में अभिव्यक्ति की आजादी पर सरकारों द्वारा अंकुश लगाने के प्रयास हुए हैं और हो रहे हैं। खासकर पिछले कुछ वर्षो में तो पत्रकारों पर हमलों और झूठे आपराधिक षड़यंत्र रचने के मामले काफी बढ़े हैं। पत्रकारों की लेखनी पर लगाम लगाने के तमाम हथकंडे अपनाये जा रहे हैं। राज्यों की तानाशाही सरकारें यह भूल जाती हैं कि लोकतंत्र में मीडिया का रोल अहम है और यही रोल हमें एक बेहतर लोकतंत्र की पहचान दिलाता है। छत्तीसगढ़ में पत्रकार मुकेश चंद्रकार की हत्या ने एक बार फिर सारे देश में बहस छेड़ दी है। एक विदेशी संस्था की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में पत्रकारों को फर्जी मामलों में गिरफ्तारी से लेकर हत्या तक कई तरह की हिंसा झेलनी पड़ी है, जिस कारण भारत में पत्रकारिता एक खतरनाक पेशा बन गया है। यह हमारे लिए बेहद शर्म की बात है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में इस तरह की दुर्दशा देश को विश्व में बदनाम करती है। सिर्फ सरकारें ही नहीं प्रशासन स्तर पर भी मीडिया को दबाने, कुचलने और मिटाने के प्रयास किये जाते हैं। जिसकी शह कहीं न कहीं नेताओं से ही मिलती है। हम जानते हैं कि आज हर जगह भ्रष्टाचार, कदाचार पनप चुका है। मीडिया ही वह माध्यम से जहां से यह मामले उजागर होते हैं। यही कारण है कि इन भ्रष्टाचारों का दबाने के लिए पत्रकारों का निशाना बनाया जाता है। लेकिन आज भी निर्भीक और साहसी पत्रकार हैं जो अपने पेशे से इनके आगे झुकते नहीं हैं और अपनी कलम को ताकत की तरह इस्तेमाल करते हैं।

विजया पाठक

भारतीय लोकतंत्र में चार स्तंभों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और पत्रकारिता। भारत देश में इन चारों स्तंभों में से तीन स्तंभों को अपने-अपने हिसाब से कार्य करने की स्वतंत्रता है। लेकिन मीडिया की स्वतंत्रता पर समय-समय पर अंकुश लगाने का प्रयास किया जाता रहा है। यह अंकुश न सिर्फ पूर्व में लगाया जाता रहा है बल्कि वर्तमान में मीडिया की आवाज को रोकने और कलम की ताकत को दबाने के प्रयास जारी हैं। लेकिन देश में हो रहे अनाचार और दुराचार को सहन न करते हुये चौथे स्तंभ द्वारा जब-

पत्रकारिता को आज जकड़ लिया गया है। तमाम हथकंडे अपनाकर मीडिया को दबाने, कुचलने का कार्य किया जा रहा है पत्रकारिता के स्तर को गिराने के प्रयास जारी है।

क्या सरकारों ने चौथे स्तंभ को बना दिया है कठपुतली?

जब आवाज उठाई गई उस आवाज को दबाने की भरपूर कोशिश की गई। जरूरत पड़ी तो चौथे स्तंभ का गला तक घोंट दिया गया। हम जानते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। जहां सब कुछ लोकतांत्रिक तरीके से होता है लेकिन इस लोकतंत्र को खड़ा करने के लिए जिन चार स्तंभों का इस्तेमाल होता है, उनमें से एक स्तंभ आज लहूलुहान है। क्योंकि उस स्तंभ को खड़ा करने वाले पत्रकारों की भारत में आए दिन हत्याएं हो रही हैं, उन पर लगातार हमले बढ़ रहे हैं। उनकी कलम को दबाने का प्रयास किया जा रहा है और जो पत्रकार साहस या हिम्मत जुटाकर खबर प्रकाशित कर देता है सरकारें उन पर अनैतिक रूप से परेशान करती है। उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है।

भारत में पत्रकारों को फर्जी मामलों में गिरफ्तारी से लेकर हत्या तक कई तरह की

आज भारत में पत्रकारिता का प्रभाव खतरे में है दिन-ब-दिन मीडियाकर्मियों पर हो रहे हमलों ने इसे खतरनाक पेशे में गिना जाने लगा है। कलम की ताकत को कमजोर करने के लिए भ्रष्टतंत्र द्वारा अनैतिक कार्य किये जा रहे हैं। यही हाल रहा तो आने वाले दिनों में पत्रकारिता सिर्फ दिखावे का साधन मात्र रह जायेगा।

लोकतंत्र में न्यायपालिका का भी अपना एक महत्व है। पत्रकारिता के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ न्याय पालिका का हस्तक्षेप करने की जरूरत है। यदि किसी ने ध्यान नहीं दिया तो निकट भविष्य में चौथे स्तंभ की अहमियत कम हो जायेगी।

क्या सरकार की नजरों में नहीं है मीडिया की अहमियत?

साल-दर-साल बढ़ रही पत्रकारों के खिलाफ हिंसाएं। चिंताजनक स्थिति में पहुंचा पत्रकारिता का पेशा।

हिंसा झेलनी पड़ी है जिस कारण भारत में पत्रकारिता एक खतरनाक पेशा बन गया है। न्यूयार्क स्थित पोलीस प्रोजेक्ट ने यह निष्कर्ण एक विस्तृत अध्ययन के बाद निकाला है। पोलीस प्रोजेक्ट ने अलग-अलग विषयों की कवरेज के दौरान हुई घटनाओं को जमा किया है। किसान आंदोलन के दौरान पत्रकारों के खिलाफ हिंसा की अब तक 10 घटनाएं हो चुकी हैं। बाकी 104 घटनाएं पूरे देश के दौरान अलग-अलग विषयों और समय से जुड़ी हैं। भारत में इस समय कई पत्रकार जेलों में बंद हैं। केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन को पिछले साल अक्टूबर में उस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया था जब वह उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए एक बलात्कार और हत्या के मामले की खबर के सिलसिले में यूपी गए थे। कप्पन तभी से आईपीसी की धारा 153ए (समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 295ए (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना), 124ए (देशद्रोह), 120बी (साजिश), यूएपीए के तहत जेल में हैं। पोलीस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट कहती है कि इस समयावधि में कुल 228 पत्रकारों को हिंसा का सामना करना पड़ा। सरकार भारत में पत्रकारों को धमकाकर, गिरफ्तारी या फर्जी

छत्तीसगढ़: हमलों से दहशत में पत्रकार

ये हैं छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री विजय शर्मा। हाल ही में छत्तीसगढ़ के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या में वियज शर्मा की काबिलियत पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। सवाल है कि यह कैसे कानून व्यवस्था है जहां पत्रकार ही सुरक्षित नहीं है।

अपनी बेबाक आवाज और कलम की ताकत के लिये खास पहचान रखने वाले मुकेश चंद्रकार की राज्य के दंबगों ने निर्मम हत्या कर दी और प्रदेश के गृहमंत्री विजय शर्मा व उनका कानून चंद्राकर की रक्षा करने में असफल साबित हुआ। छत्तीसगढ़ में दबंगों ने जो किया वह सिर्फ चंद्राकर की हत्या नहीं है, वह कलम की हत्या है। चंद्राकर की हत्या के बाद प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के कलम के सिपाही खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पत्रकार मुकेश चंद्राकर

ये हैं छत्तीसगढ़ के युवा पत्रकार मुकेश चंद्राकर। मुकेश ने अपनी साहसी और निडरता के बल पर भ्रष्टतंत्र पर लगाम लगाने का काम किया और इसी के चलते इन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी।

के कथित हत्यारे को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन उनकी हत्या ने यह दिखाया कि भारत के अंदरूनी इलाकों में पत्रकार किस तरह के जोखिम के बीच अपना काम कर रहे हैं। मुकेश चंद्राकर का यूट्यूब चैनल 'बस्तर जंक्शन' देश के सबसे पिछड़े इलाकों में एक, बस्तर जिले का आइना है। किसी नदी पर लोगों द्वारा बनाया गया जुगाड़ वाला पुल हो, किसी सुदूर गांव में पहली बार खुला कोई स्कूल हो, साफ पानी की कमी हो, माओवादियों की हिंसा हो या खेतों में आईईडी के चपेट में आने से बच्चों की मौत हो, मुकेश के सारे वीडियो बस्तर की कहानी कहते हैं। हालांकि कई मुश्किलों से जूझते हुए स्वतंत्र जमीनी पत्रकारिता करते रहने की जो कीमत मुकेश ने अदा की है, वो उनके यूट्यूब चैनल ही नहीं बल्कि पूरे देश में पत्रकारिता के भविष्य पर एक बड़ा सवालिया निशान छोड़ गई है। छत्तीसगढ़ जैसे

मामले दर्ज करके या किसी तरह की पाबंदियां लगाकर चुप करवा रही है जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं उन पर देशद्रोह जैसे मुकदमों और गिरफ्तारी का खतरा लगातार बना रहता है।

भारत का रिकार्ड खराब

पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के विरोध में पूरे छत्तीसगढ़ में जगह-जगह विरोध प्रदर्शन हुए। सभी पत्रकारों ने पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर तमाम सवाल खड़े किए और सरकार से मांग की कि पत्रकारों की किस पत्रकारों की सुरक्षा पर ध्यान दिया जाये।

राज्य में स्थानीय पत्रकार होने के अलग ही मायने हैं। लंबे समय से माओवाद की चपेट में रहने की वजह से इस राज्य का एक अपना अलग ही चरित्र बन गया है, जिसमें दूसरे राज्यों के पत्रकारों के मुकाबले यहां के पत्रकारों के जोखिम बढ़ गए हैं। कभी गोलीबारी तो कभी आईईडी ब्लास्ट की वजह से जान का खतरा रहता है। इसके अलावा एक तरफ सरकार का दबाव रहता है तो दूसरी तरफ माओवादियों का दबाव और साथ ही भ्रष्टाचार करने वाले अन्य ताकतवर लोगों का दबाव भी रहता है। मीडिया संस्थानों को पता है कि अगर सरकार के खिलाफ कोई खबर दिखानी है, तो उसमें किस स्तर तक जाना है और कब रु क जाना है। क्योंकि अगर आप एक स्तर से आगे बढ़े तो खबरें चलेंगी ही नहीं, गिरा दी जाएंगी। इन्हीं चीजों से निजात पाने के लिए हम लोगों ने यूट्यूब पर अपने अपने चैनल शुरू किये, ताकि बात जैसी है उसे वैसा ही रखा जाए।

भूपेश सरकार में पत्रकारों पर जुल्म

भूपेश सरकार में छत्तीसगढ़ के इतिहास में सबसे ज्यादा जुल्म किये गये थे। विपक्ष में रहते हुए भूपेश बघेल पत्रकारिता की स्वतंत्रता

रिपोर्टर्स विदाउट बार्डर्स की एक रिपोर्ट में भी भारत को पत्रकारिता के लिए दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में शामिल किया गया था। संस्था द्वारा जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत को 180 देशों में 142 स्थान मिला है, जो मीडिया स्वतंत्रता की

के पक्षधरों में शुमार होते रहे। कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने पत्रकारों की सुरक्षा के लिए विधानसभा में निजी विधेयक प्रस्तुत करने की भी बात कही थी। हालांकि यह विधेयक कभी पेश नहीं किया गया। विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में भी वकीलों, चिकित्सकों और पत्रकारों के लिए सुरक्षा कानून बनाने का वादा किया था। सत्ता में आने के बाद इन कानूनों को सरकार ने खूब प्रचारित किया। लेकिन कानून लागू नहीं करा पाये। भूपेश सरकार में पत्रकार सुनील नामदेव के साथ भी सरकार द्वारा काफी बरबरता की गई थी। उन्हें सैनेटाईजर तक पिलाया गया था। सुनील नामदेव ने भूपेश सरकार में हुए भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम किया था। सुनील नामदेव को ढेर सारे फर्जी केसों में फंसाकर जेल भेज दिया गया। उनके घर मकान तोड़ दिए गए। छत्तीसगढ़ में एक पत्रकार नीलेश शर्मा को राज्य की कांग्रेस पार्टी की सरकार के खिलाफ व्यंग्य लिखने के आरोप में जेल भेज दिया गया था। शिकायत दर्ज होने के कुछ ही घंटे के भीतर पुलिस ने पत्रकार नीलेश शर्मा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 504, 505 (1), बी व 505 (2) के तहत मामला दर्ज कर लिया और अगले कुछ घंटों में ही उन्हें हिरासत में भी ले लिया गया था। कांकेर के स्थानीय पत्रकार सतीश यादव को नगर पालिका से जुड़े कुछ कांग्रेसी नेताओं ने उनके साथ मारपीट की और उन्हें पीटते हुए थाने तक लेकर गये। वहां भी उनकी पिटाई की गई। सतीश यादव नगर पालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार लिखते आ रहे थे। जिसके कारण कांग्रेस के नेता नाराज थे। छत्तीसगढ़ में बस्तर के पत्रकार कमल शुक्ला के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया था। पत्रकार शुक्ला ने फेसबुक पर कथित तौर पर देश की न्यायपालिका और सरकार के खिलाफ कार्टून पोस्ट किया था। शुक्ला भूमकाल समाचार के संपादक और इलाके में फेंक एनकाउंटर के खिलाफ आवाज उठाने वालों के तौर पर जाने जाते हैं। वह आदिवासियों के अधिकारों के लिए भी आवाज उठाते देखे जाते हैं। पत्रकार कमल शुक्ला को पीटते हुए सड़क पर घसीटा गया और भद्दी गालियां दी गईं। उनके सिर में गंभीर चोट आई थी। महादेव सट्टा ऐप का खुलासा करने के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री

खराब स्थिति को जाहिर करता है। रिपोर्टर्स विदाउट बार्डर्स ने दुनिया के 37 ऐसे नेताओं की सूची जारी की थी, जो मीडिया पर लगातार हमलावर हैं। भारत में लगातार दमन और बढ़ती पाबंदियों ने मीडिया की आजादी को बड़ा खतरा पैदा कर दिया है।

भूपेश ने मेरे खिलाफ भी झूठे आरोप लगाकर केस दर्ज करवा दिया था। और 2-3 बार मेरे भोपाल स्थित आवास पर छत्तीसगढ़ की पुलिस को भेजा था।

पत्रकारों की सुरक्षा

इसी के साथ साथ पत्रकारों पर हिंसक हमले और उनकी हत्या के भी मामले अक्सर सामने आते रहते हैं। 2018 में दंतेवाड़ा जिले में माओवादियों के एक हमले में दो पुलिसकर्मियों के साथ साथ एक पत्रकार की जान चली गई थी। 2013 में आठ महीनों के अंदर दो पत्रकारों साई रेड्डी और नेमीचंद जैन की हत्या कर दी गई थी। इन मामलों में हत्या का आरोप माओवादियों पर लगा था, लेकिन मुकेश चंद्राकर का मामला अलग है। उनका शव उन्हीं के इलाके के एक ठेकेदार के घर के पास बने सेप्टिक टैंक में मिला। ठेकेदार सुरेश चंद्राकर उनका रिश्तेदार भी था। पुलिस का कहना है कि सुरेश द्वारा बनाई गई एक सड़क में हुए भ्रष्टाचार पर मुकेश ने एक रिपोर्ट की थी जिसकी वजह से सुरेश ने और कुछ लोगों के साथ मिलकर उसकी जान ले ली। पत्रकार सुरक्षा कानून का मुद्दा लेकर एक सरकार आई और चली गई। कानून आया भी तो उसमें कई कमियां थीं। अब तो ऐसा लगता है कि इस मुद्दे पर बात करना ही ढकोसला है।

कहीं पुलिस तो ही नहीं बन गई भक्षक

देश और समाज में पुलिस का महत्वपूर्ण स्थान होता है। लोग जो पत्रकार सरकार से सवाल करते हैं उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने का अभियान चलाया जाता है। कई बार तो बलात्कार या हत्या जैसी धमकियां भी दी जाती हैं। किसान आंदोलन की कवरेज कर रहे एक स्वतंत्र पत्रकार मनदीप

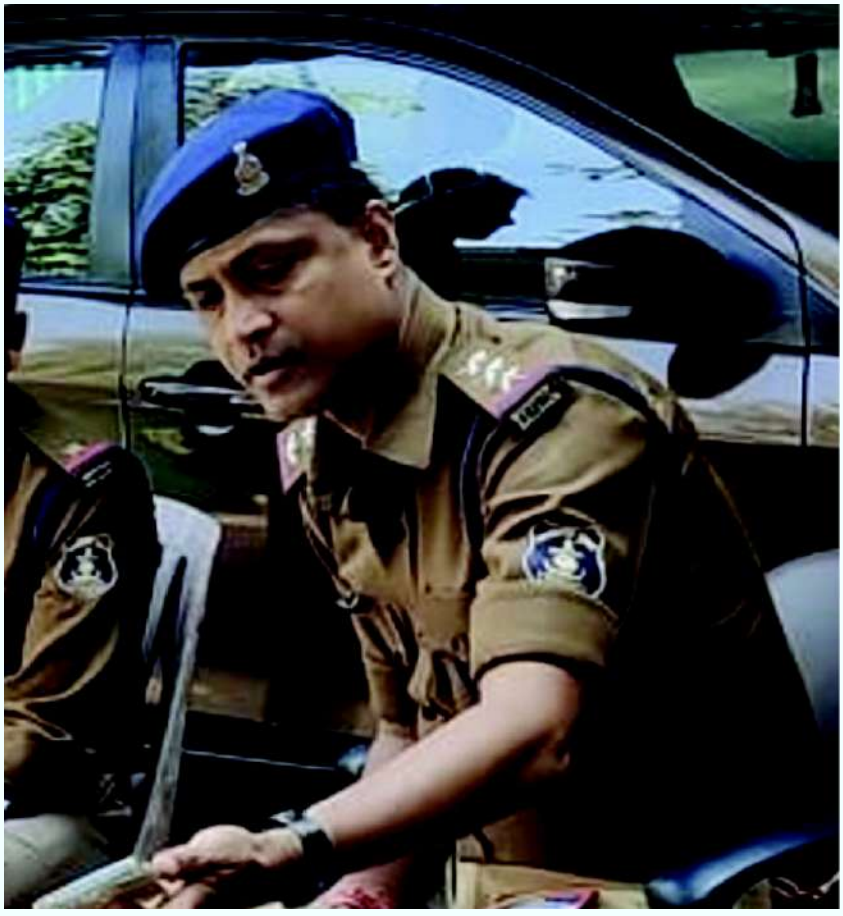

ये हैं बीजापुर थाना के टी.आई. दुर्गेश शर्मा। पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या इन्हें के थाना क्षेत्र में हुई है। दुर्गेश शर्मा की इस हत्याकांड में भूमिका संदेहास्पद है। इससे पहले भी पत्रकारों के मामलों में भूमिका संदेहास्पद रही है। मेरे खिलाफ चले अनैतिक मामले में भी दुर्गेश शर्मा अहम रोल में थे और मेरे घर तक पहुंचे थे।

पुलिस और पुलिस की वर्दी को जनता की सुरक्षा से जोड़कर देखते हैं। लेकिन मुकेश चंद्राकर की हत्या के मामले में सीधे पहला संदेह पुलिस की भूमिका पर जाता है। स्थानीय पत्रकारों और लोगों का कहना है कि चंद्राकर को पिछले कई दिनों से पुलिस और दबंग सुरेश चंद्राकर द्वारा मारपीट करने व मौत की धमकी आदि के संदेश भेजे जा रहे थे। पुलिस के संरक्षण में जिस तरह से दबंगों ने पत्रकार को धमकियां दी हैं उससे सीधे तौर पर समझ आता है कि यह पुलिस वाले ही तो कहीं चंद्राकर की मौत के भक्षक तो नहीं बन गये।

दुर्गेश शर्मा की भूमिका पर है संदेह

मुकेश चंद्राकर से जुड़े पत्रकार साथियों और अन्य दोस्तों के अनुसार मुकेश के हत्यारों के साथ थानेदार दुर्गेश शर्मा के सम्बंध, साथ ही पूरे हत्याकांड में उनकी भूमिका पर सवालियां निशान खड़े हो रहे हैं। सूत्रों के अनुसार दुर्गेश शर्मा वही थानेदार हैं जो एसपी जितेन्द्र यादव के इशारे पर लोगों को मारने, उठवा लेने और डराने धमकाने का काम करते हैं। दुर्गेश शर्मा जब भिलाई में पदस्थ थे तब महादेव सट्टा एप्प खूब फैला और कार्यवाही के नाम पर छोटे मोटे प्यादों को उठा लिया जाता था, तब के पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने एक निजी चैनल द्वारा बनाई गई स्टिंग में यह कुबूल भी किया था कि मुख्यमंत्री सचिवालय को महादेव सट्टा मनाली में आशीर्वाद प्राप्त था, यही नहीं पर इसके बावजूद पुलिस विभाग द्वारा भूपेश बघेल के प्रिय इस थाना प्रभारी

पूनिया को इसी साल 30 जनवरी को दिल्ली के सिंघु बार्डर से गिरफ्तार कर लिया गया था। उन पर IPC की धारा 186 (सरकारी काम में बाधा पहुंचाना) IPC की धारा 353 (सरकारी अधिकारी पर हमला करना) IPC की धारा 332 (लोकसेवक

को 2024 गणतंत्र दिवस पर सर्वश्रेष्ठ थाना प्रभारी का सम्मान दिया गया। दुर्गेश शर्मा ने इससे पहले भी कई पत्रकारों को सच लिखने से रोकने का दुस्साहस किया और डराने तथा धमकाने का प्रयास किया है। मुझे बहुत अच्छे से याद है जब मैंने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के संरक्षण में चल रहे महादेव सट्टा ऐप से जुड़े मकड़जाल को उजागर किया तो बघेल ने इसी थानेदार दुर्गेश शर्मा के माध्यम से मुझे डराने और धमकाने का प्रयास किया। यहां तक कि दुर्गेश शर्मा अपने अन्य पुलिस के साथियों के साथ मेरे भोपाल स्थित घर तक कई बार आए और मेरे परिवार के लोगों को डराया और धमकाया।

आखिर कब तक सोते रहेंगे छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री?

एक तरफ राज्य में एक पत्रकार की निर्मम हत्या हो जाती है, दूसरी तरफ नक्सलियों द्वारा आठ जवानों को ब्लास्ट कर मार दिया जाता है। इन सबके बावजूद राज्य के गृहमंत्री विजय शर्मा चुप्पी साधे हुये क्यों बैठे हुये हैं। यही नहीं यही गृहमंत्री इन सभी मामलों में संदिग्ध भूमिका में रहने वाले थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा को मंच पर बुलाकर सम्मानित कर रहे हैं। अगर प्रदेश में कानून और लॉ एंड ऑर्डर की यही स्थिति रही तो वह दिन दूर नहीं जब राज्य की जनता के मन में डर और भय इतना गहरा घर कर जायेगा कि लोगों का सरकार और पुलिस से भरोसा ही उठ

को चोट पहुंचना) और IPC की धारा 34 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार उत्तरप्रदेश, कर्नाटक और मणिपुर सहित अन्य भारतीय राज्यों में शारीरिक हिंसा के मामलों में वृद्धि देखी गई

जगत विजन पत्रिका ने छत्तीसगढ़ के महादेव ऐप ऑनलाईन सट्टा घोटाले पर स्टोरी प्रकाशित की थी जिसको लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेसियों ने काफी हल्ला मचाया था।

जायेगा। आखिर गृहमंत्री विजय शर्मा की नींद कब खुलेगी और कब वे दोषियों पर कार्रवाई कर जनता की सुरक्षा के लिये कोई सख्त कदम उठायेंगे।

मुख्यमंत्री साय ने दिखाई तत्परता

भले ही राज्य के गृहमंत्री विजय शर्मा इस पूरे मामले में उदासीन बैठे हुये हों। लेकिन राज्य के मुखिया होने के नाते मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तत्परता दिखाते हुये दोषियों को कड़ी सजा देने का ऐलान किया। यही नहीं उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिये एसआईटी का गठन किया है जिसने अपना कार्य आरंभ भी कर दिया है।

है। किये गये दस्तावेज़ीकरण से इन राज्यों में पत्रकारों के खिलाफ हुई हिंसा में लगातार वृद्धि का भी पता चलता है। 2019 में मारे गए 11 पत्रकारों में से चार पत्रकारों को उत्तर प्रदेश में मार दिया गया। दिसंबर 2020 में, कर्नाटक के हसन जिले

में गुस्साई भीड़ ने एक महिला पत्रकार पर हमला कर दिया, क्योंकि उन्होंने उस इलाके में चल रही अवैध गाय वधशालाओं की मौजूदगी की सूचना दी थी। सितंबर 2021 में, कर्नाटक के मैसूर में दक्षिणपंथी प्रदर्शनकारियों द्वारा एक पत्रकार पर हमला किया गया था क्योंकि वह उनका भाषण रिकार्ड कर रहा था। इन प्रेस-संबंधित हमलों की उभरती हुयी प्रकृति के कारण पत्रकारिता की अखंडता की रक्षा करने और विशेष रूप से राजनीतिक रूप से आरोपित वातावरण में सूचना के मुक्तप्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए अधिक ध्यान देने और सक्रिय उपायों की आवश्यकता है।

सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ले संज्ञान

आये दिन देश के पत्रकारों के साथ हो

मध्यप्रदेश: मुख्यमंत्री मोहन यादव के काल में पत्रकारों पर किये जा रहे जुल्म

मध्यप्रदेश की बात करें तो पिछले पांच वर्षों में प्रदेश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के उल्लंघन की दर्जनों घटनाएं दर्ज की गईं हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 09 पत्रकारों को उज्जैन में जेल भेजा था जिसमें से 07 अब जिला बदर हैं। क्योंकि उन्होंने चुनाव के समय मोहन यादव के जमीनों के भ्रष्टाचार पर ख़बर लिखी थी। यही नही मोहन यादव ने नई परम्परा शुरू की है। बड़े चैनलों के आकाओं को ऑफिस के लिए सरकारी बंगले सरकारी क्वार्टर दे रहे हैं और कुछ पत्रकारों से खाली करवा रहे हैं। मोहन यादव भी आज हिटलरशाही का रवैया अपनाकर लोगों को डरा धमकाकर उनकी जमीनों को हथिया रहे हैं। जमीनों पर कब्जा कर लेना, उन्हें बेदखल कर देना यह सब कृत्य करने के बाद यदि कोई पत्रकार कलम के माध्यम से जनता के सामने सच लाने का कार्य करता है तो मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव उस पर प्रशासकीय ढंग से लगाम लगाने का कार्य करते हैं। मोहन यादव की यह कार्यशैली मध्यप्रदेश के इतिहास के अब तक के मुख्यमंत्रियों में बिल्कुल अलग है जो कलम की ताकत को दबाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले के मुख्यमंत्रियों ने पत्रकारों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जैसा मोहन यादव कर रहे हैं। आज उनके ही गृह जिले में पत्रकारों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। उज्जैन के कई पत्रकार मोहन यादव के दंश से परेशान हैं। मोहन यादव मप्र में प्रजातंत्र खत्म करने की ओर

मध्यप्रदेश में पत्रकारों हो रहे हैं सरकार के दमन-अत्याचार के शिकार

अग्रसर हैं। जैसा उन्होंने उज्जैन और उसके आसपास के पत्रकारों के साथ व्यवहार किया है क्योंकि उन पत्रकारों ने मुख्यमंत्री बनने के पहले जमीन संबंधी घोटाले को अपने पेपर में छापा था। उनके उपर झूठे मुकदमें लगाकर जेल में बंद कर दिया। उससे साफ प्रतीत होता है कि मोहन यादव लिखने, बोलने और छापने की स्वतंत्रता पर प्रहार कर रहे रही इस तरह की घटनाओं को संज्ञान में लेते हुये सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को सख्त कदम उठाना चाहिये। मेरी अपील है सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति से कि वह पत्रकारों की सुरक्षा और दबंगों पर की जाने वाली

हैं। उनका यह रवैया अधिनायकवाद को दर्शाता है। गुना और शिवपुरी जिलों में सात एफआईआर के आरोप में रिपोर्टर जालम सिंह की गिरफ्तारी और दो महीने से अधिक समय तक जेल में रहने से संकेत मिलता है कि इस तरह की दमनकारी कार्रवाई का पत्रकारिता पर भयावह प्रभाव पड़ा है। अक्टूबर 2023 में, पत्रकार जालम सिंह किरार के खिलाफ चार दिनों में 11 एफआईआर दर्ज की गईं, जब उन्होंने भाजपा के एक मंत्री के खिलाफ खबर प्रकाशित की थी। नवंबर 2024 में भोपाल में लगभग 150 पत्रकारों की एक सूची वायरल

हुई। इस पर चार पत्रकारों ने शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। उज्जैन के चिमनगंज थाना क्षेत्र की राज रॉयल कालोनी में एक पत्रकार के घर देर रात बदमाशों ने हमला किया। तीन मोटरसाइकिलों पर सवार छह बदमाशों ने पहले घर के बाहर गालियां दीं और फिर पत्थरों से हमला किया। पथराव के बाद बदमाश पत्रकार को जान से मारने की धमकी

कार्रवाई पर सख्त रवैया अपनाते हुये कोई जनहित के फैसले ले, जिससे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को जीवित रखा जा सके। क्योंकि अगर चौथे स्तंभ को संरक्षण नहीं दिया गया तो वह दिन दूर नहीं जब देश से सच्चाई के खिलाफ आवाज उठाने वाला

आज पत्रकारिता भ्रष्टतंत्र के कारण जंजीरों में जकड़ी हुई है। इसकी अभिव्यक्ति पर भ्रष्टतंत्र द्वारा तमाम हथकंडे अपनाकर दबाने एवं कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। जोकि स्वस्थ लोकतंत्र के लिये हानिकारक है।

देकर भाग गए। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकार्ड हुई। 07 अप्रैल 2022 को मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक पुलिस थाने की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल थी। इस तस्वीर में कुछ अर्धनग्न लोग खड़े नज़र आ रहे थे। सोशल मीडिया पर दावा किया गया था कि तस्वीर में थाने के भीतर अर्धनग्न खड़े लोग स्थानीय पत्रकार थे। आरोप था कि ये लोग एक स्थानीय रंगकर्मी की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे जिसके बाद पुलिस ने इन सभी को पकड़कर उनके कपड़े उतरवाए और थाने में इनकी परेड निकाली। तस्वीर में दिख रहे पत्रकार कनिष्क तिवारी ने कहा था कि इस तस्वीर में दिख रहे लोगों में हम दो पत्रकार हैं। एक मैं और एक मेरा कैमरामैन, बाकी सभी स्थानीय नाट्यकर्मी और आरटीआई एक्टिविस्ट हैं जो एक मामले में रंगकर्मी नीरज कुंदेर की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे। वहीं मध्यप्रदेश के सागर के शाहगढ़ में 40 साल के पत्रकार चक्रेश जैन की जलने से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। जैन के भाई का आरोप था कि शाहगढ़ जिला पंचायत के एडीओ अमन चौधरी ने उन्हें जलाकर मार दिया। चौधरी की शिकायत पर जैन के खिलाफ एससी/एसटी अत्याचार (रोकथाम) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। कुछ दिन बाद फैसला आने वाला था। जैन इस मामले में राजीनामा चाहते थे। जमीन घोटालों से संबंधित खबरें छापे जाने से खिन्न एडीएम द्वारा एक समाचार पत्र के ब्यूरो चीफ दशरथ परिहार को चेंबर में बुलाकर मारपीट करने की घटना सामने आयी थी। गंभीर बात यह थी कि मारपीट की घटना को छिपाने के लिए एडीएम द्वारा

लोकतंत्र का चौथा स्तंभ खतरे के निशान को भी पार कर जाये।

महिला पत्रकारों पर भी बढ़े हमले

महिला पत्रकारों के खिलाफ हो रही ऑनलाइन हिंसा पर यूनेस्को द्वारा जारी एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि 73 फीसदी महिला

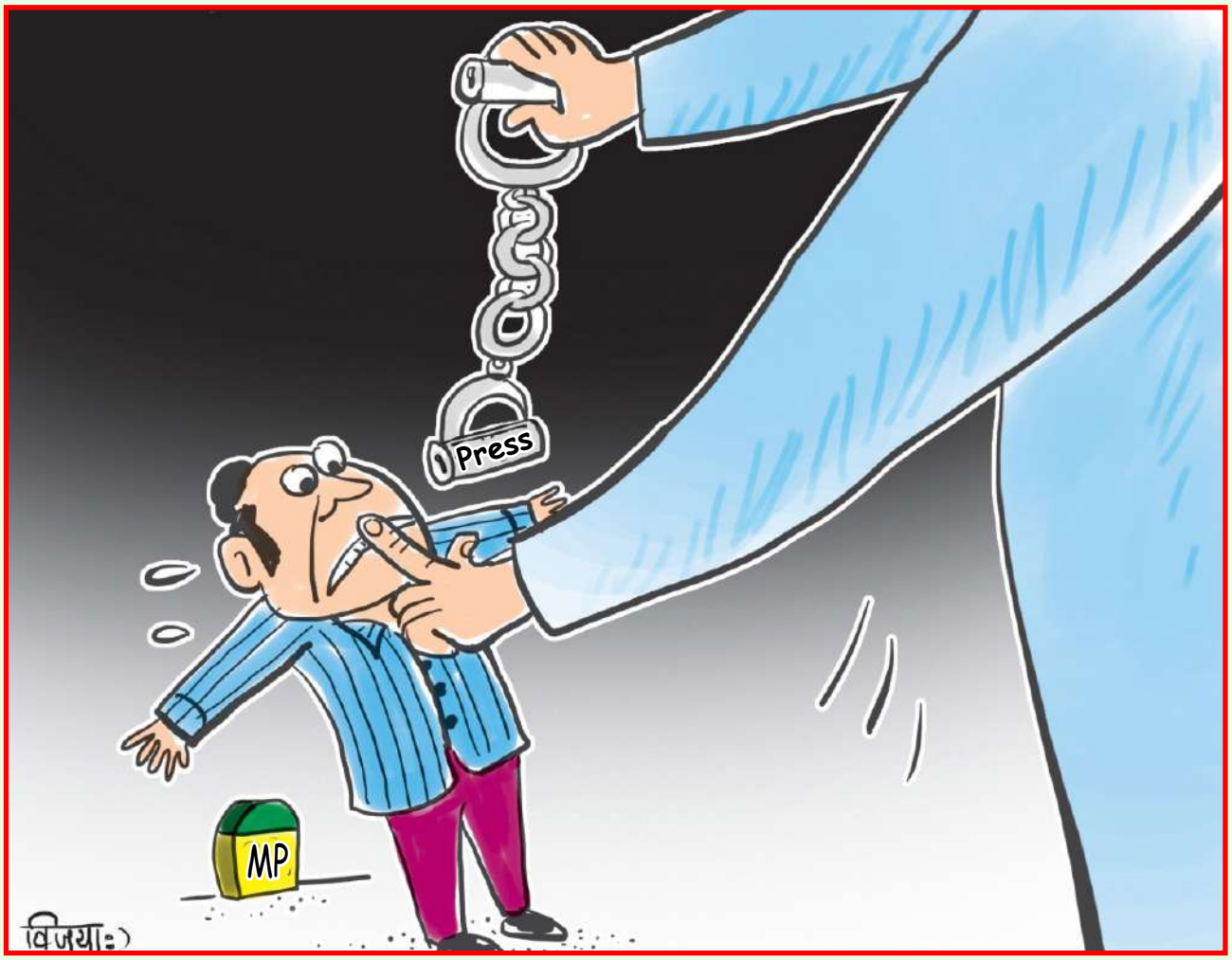

बिना मेडिकल कराए ही जेल भेज दिया गया। मध्य प्रदेश के भिंड में एक पत्रकार को डंपर ने कुचल दिया, जिसमें उसकी मौत हो गई। परिवार की तरफ से यह कहा जा रहा है कि यह हादसा नहीं बल्कि हत्या है। मध्य प्रदेश के बालाघाट से अपहृत पत्रकार संदीप कोठारी का जला शव महाराष्ट्र में वर्धा के करीब एक खेत में पाया गया। छिंदवाड़ा के चौरई में सीनियर पत्रकार ललित डेहरिया पर तीन नकाबपोशों ने जानलेवा हमला कर दिया था। सिर में गंभीर चोट आने से उनका ऑपरेशन किया गया। हाथ और पैर में भी चोट आई। मध्यप्रदेश के राजगढ़ स्थित सारंगपुर में बीते दिनों पत्रकार सलमान अली (35) की तीन बाइक सवार नकाबपोशों ने सिर में गोली मारकर हत्या कर दी थी। राजगढ़ में अज्ञात हमलावरों द्वारा एक पत्रकार की गोली मारकर हत्या किए जाने का मामला सामने आया था। मामला राजगढ़ जिले

पत्रकारों ने कहा कि वह ऑनलाइन हिंसा का शिकार हुई हैं। जबकि 20 फीसदी का मानना था कि हिंसा अब ऑनलाइन के साथ-साथ जमीनी स्तर पर भी फैल गई है। वहीं इसी रिपोर्ट में 30 फीसदी महिला पत्रकारों ने कहा कि उन्होंने ऑनलाइन हमलों की वजह से खुद को

के सारंगपुर नगर का था। व्यापमं घोटाले के दौरान आजतक के एक पत्रकार की भी हत्या की गई थी।

मध्यप्रदेश सरकार के कारण सुरक्षित नहीं हैं पत्रकार

भले ही आज मुकेश चंद्राकर छत्तीसगढ़ में इस तरह की घटना का शिकार हुये हैं। लेकिन इससे बुरा हाल मध्यप्रदेश का है। यहां लोकतंत्र का चौथा स्तंभ खतरे में है। मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार, सरकार के नुमाइंदों द्वारा किये गये भ्रष्टाचार के मामलों को छापने पर न सिर्फ पत्रकार को डराया धमकाया जाता है बल्कि उनकी अधिमान्यता तक समाप्त की जा रही हैं। यही नहीं मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचारों को परत दर परत खोलने वाले एक पत्रकार के सरकारी विज्ञापन तो बंद किये ही गये उनके निजी विज्ञापन भी बंद करने जैसी औछी हरकत पर उतर आई है प्रदेश की मोहन सरकार। लेकिन सरकार और उससे जुड़े लोग शायद यह भूल जाते हैं कि कलम के सिपाही किसी भी डर, धमकी या दबाव से पीछे नहीं हटते वह निरंतर आगे बढ़कर सच लिखने का साहस करते हैं और लिखते चले जाते हैं। अक्टूबर 2023 में, पत्रकार जालम सिंह किरार के खिलाफ चार दिनों में 11 एफआईआर दर्ज की गईं, जब उन्होंने भाजपा के एक मंत्री के खिलाफ खबर प्रकाशित की थी। नवंबर 2024 में, भोपाल में लगभग 150 पत्रकारों की एक सूची वायरल हुई, जिसमें उन्हें भ्रष्टाचार से जोड़ा गया था। इस पर चार पत्रकारों ने शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। उज्जैन के चिमनगंज थाना क्षेत्र की राज रॉयल कॉलोनी में एक पत्रकार के घर देर रात बदमाशों ने हमला किया। तीन मोटरसाइकिलों पर सवार छह बदमाशों ने पहले घर के बाहर गालियां दीं और फिर पत्थरों से हमला किया।

वायरल लिस्ट से भोपाल के पत्रकारों में फैला खौफ

भोपाल में इन दिनों करीब 150 पत्रकारों के एक नाम वाली लिस्ट वायरल हो रही है। माना जा रहा है कि इस लिस्ट में उन पत्रकारों के नाम हैं, जो कि भ्रष्ट हैं। फिलहाल, क्राइम ब्रांच इस लिस्ट का स्त्रोत खोज रही है। हालांकि, इस मामले में एफआईआर का दर्ज होना हैरान कर रहा है क्योंकि पहले भी इस तरह की लिस्ट जारी होती रही हैं। साल 2018 के चुनावों में भी इसी तरह की एक लिस्ट वायरल हुई थी। जिसमें हिंदी और अंग्रेजी मीडिया से जुड़े प्रमुख पत्रकारों के नाम शामिल थे। तब कहा गया कि इन पत्रकारों को तोहफे के रूप में कार मिली हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान भी एक लिस्ट वायरल हुई, इसमें पत्रकारों पर कई तरह के लाभ लेने के दावे किए गए। ताजा विवाद के बीच, चार पत्रकारों की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 336 (4) और 356 (2) के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि इस तरह की मनगढंत सूची तैयार कर प्रदेश में मीडिया की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। मालूम हो कि यह सूची सोशल मीडिया पर वायरल की गई थी। सूची वायरल के कुछ घंटो बाद कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने दो ट्वीट किए। जिसमें उन्होंने कहा कि पत्रकारों के सम्मान और प्रतिष्ठा पर सीधा आक्रमण है। तन्खा ने लिखा, एमपी तो अजब है और गजब है। प्रदेश के पत्रकारों की 04 पन्नों की सूची वायरल है। कहते हैं यह ट्रांसपोर्ट विभाग के मासिक पेमेंट की सूची है। 1996 की राजनीतिक हवाला कांड सूची के तरह इसमें छोटे, बड़े सब नाम हैं। मुझे यकीन नहीं सूची की सत्यता के विषय में।

आइसोलेट तक कर लिया और 20 फीसदी महिला पत्रकारों ने ऑनलाइन हमलों से बचने के लिए सोशल मीडिया पर अपनी सक्रियता बंद कर दी। इस रिपोर्ट में भारत का भी नाम है, जहां महिला पत्रकारों पर ऑनलाइन हिंसा तेजी से बढ़ी है।

क्या है पत्रकारिता की आजादी का कानून?

धारा 13 के तहत शिकायतें भारतीय प्रेस परिषद एक स्वायत्त, सांविधिक, अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण है जिसे संसद द्वारा भारत में प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखने और समाचार पत्रों तथा समाचार एजेंसियों के मानकों को बनाए रखने एवं उनमें सुधार करने के दोहरे उद्देश्य का अधिदेश प्राप्त है। प्रेस के कानून पत्रकारों के लिए कुछ विशेषाधिकारों का प्रावधान करते हैं और उन्हें कुछ कर्तव्यों के लिए बाध्य भी करते हैं। समाज के सुचारू रूप से संचालन के लिए सरकार को अनेक कानून बनाने पड़ते हैं। भारत के संविधान में सभी नागरिकों को प्रेस की आजादी का गारंटी दी गई है। परन्तु देश की सुरक्षा और एकता के हित में और विदेशों से सम्बन्धों तथा कानून और व्यवस्था, शालीनता और नैतिकता या अदालत अवमानना, मानहानि या अपराध को प्रोत्साहन के मामलों में इस अधिकार पर राज्य द्वारा अंकुश लगाया जा सकता है। विभिन्न देशों की सरकारें भी विभिन्न कानून लाकर प्रेस पर काबू पाना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर भारत सरकार नें हाल ही में ऑनलाइन मीडिया वेबसाइट पर निगरानी रखने के लिए नया कानून पेश किया है। इसके तहत सरकार ऑनलाइन कुछ भी छपने पर नियंत्रण करना चाहती है। दमोह के पत्रकार सुनील शाह ने भारतीय संविधान में उल्लेख किया गया है कि भारतीय मीडिया पत्रकारों को उनके प्रेस स्वतंत्रता का अधिकार देते हुए वह निचले स्तर की आवाज उपर शासन प्रशासन तक पहुंचाने के लिए किया गया है और प्रेस को स्वतंत्रता दी गई है कि वह न्याय दिलाने का काम करें इसी माध्यम से मीडिया क्षेत्र को न्याय का चौथा स्तंभ कहा गया है क्योंकि जो दबे कुचले जिस को न्याय नहीं मिलता उन लोगों की है आवाज उठाकर अपनी मीडिया पत्रकार पत्र अखबारों में प्रकाशित करते हुए उनकी आवाज शासन प्रशासन तक पहुंचाई जाती है जिसके माध्यम से न्याय मिलता है।

प्रेस परिषद अधिनियम

भारत में समाचार पत्रों तथा समाचार समितियों के स्तर में सुधार एवं विकास तथा प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखने की आवश्यकता महसूस करते हुए भारतीय संसद ने सन् 1978 में प्रेस परिषद अधिनियम पारित किया। इसके उद्देश्य इस प्रकार हैं-

- समाचार पत्र तथा समाचार समितियों की स्वतंत्रता को कायम रखना।
- महत्वपूर्ण तथा जनरुचि के समाचारों के प्रेषण पर, संभावित अवरोधों पर दृष्टि रखना।
- उच्च स्तर के अनुरूप पत्रकारों के लिए आचार संहिता तैयार करना।
- भारतीय समाचार पत्र तथा समाचार समितियों को मिलने वाली विदेशी सहायता का मूल्यांकन करना।
- पत्रकारिता से संबंधित व्यक्तियों में उत्तरदायित्व की भावना तथा जनसेवा की भावना को विकसित करना।

भारत में मीडिया की स्थिति चिंताजनक

देश में पत्रकारिता की आज़ादी चिंताजनक स्तर पर है। प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में दुनिया भर के देशों की सूची में हम लगातार निचले स्तर पर हैं। सूचकांक में

भारत पाकिस्तान से भी नीचे है। तुलना के लिए और क्या चाहिए! विश्व गुरु का दंभ भरते-भरते प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में पाकिस्तान से भी बदतर हालात में हैं। तो क्या अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति है? कम से कम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की स्थिति से तो ऐसा ही सवाल खड़ा होता है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक अंतरराष्ट्रीय गैर-लाभकारी संगठन है। इसके द्वारा जारी ताज़ा वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक

संघर्ष में यहाँ इस दशक में किसी भी संघर्ष में सबसे अधिक संख्या में पत्रकार मारे गए हैं। फ़िलिस्तीनी अधिकारियों का अनुमान है कि मरने वालों की संख्या कम से कम 140 होगी। नॉर्वे रैंकिंग में शीर्ष पर था, जबकि डेनमार्क विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में दूसरे स्थान पर था। सूची में स्वीडन तीसरे स्थान पर है। आरएसएफ की रैंकिंग पांच संकेतकों पर आधारित है- राजनीतिक स्थिति, कानूनी ढांचा, आर्थिक स्थिति, सामाजिक-सांस्कृतिक स्थिति और पत्रकारों

है कि मोदी सरकार ने कई नए कानून पेश किए हैं जो सरकार को मीडिया को नियंत्रित करने, समाचारों को सेंसर करने और आलोचकों को चुप कराने की असाधारण ताकत देते हैं। ऐसे कानूनों में 2023 दूरसंचार अधिनियम, 2023 मसौदा प्रसारण सेवा (विनियमन) विधेयक और 2023 डिजिटल पर्सनल डेटा संरक्षण अधिनियम शामिल हैं। आरएसएफ के विश्लेषण में कहा गया है कि 2014 में पीएम मोदी के सत्ता में आने और उनकी पार्टी भाजपा व

में भारत 180 देशों में 159वें स्थान पर है। 2023 की सूची में भारत 161वें स्थान पर था। इस रैंकिंग में पाकिस्तान भारत से सात पायदान उपर 152वें स्थान पर है। 2023 में यह 150वें स्थान पर था। भारत पाकिस्तान के साथ ही तुर्की, श्रीलंका से भी पीछे है, जो क्रमशः 158वें और 150वें स्थान पर हैं। एक महीने तक चले इजरायली हमले के बावजूद फिलिस्तीन 156 से 157वें स्थान पर एक पायदान ही फि सला है। जबकि

की सुरक्षा। फ्रेंच भाषा में रिपोर्टर्स सान्ज फ्रंटियर्स यानी आरएसएफ के नाम से जाने जाने वाले रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने अपने विश्लेषण में दावा किया है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी भारत में प्रेस की स्वतंत्रता संकट में है, जहां 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शासन है। रिपोर्ट में कहा गया है, हाल ही में अधिक कठोर कानूनों को अपनाने के बावजूद भारत दो पायदान उपर चला गया है। इसमें कहा गया

मीडिया पर हावी होने वाले बड़े परिवारों के बीच एक शानदार तालमेल बनाने के बाद से भारत का मीडिया अनौपचारिक आपातकाल की स्थिति' में आ गया है। इसने एक उदाहरण दिया है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज समूह के दिग्गज मुकेश अंबानी 70 से अधिक मीडिया आउटलेट के मालिक हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि जो पत्रकार सरकार के आलोचक हैं, उन्हें नियमित रू प से ऑनलाइन उत्पीड़न,

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का मूल है पत्रकारिता की आजादी : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पत्रकारिता की आजादी संविधान में दिए गए बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का मूल आधार है। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि भारत की स्वतंत्रता उस समय तक ही सुरक्षित है, जब तक सत्ता के सामने पत्रकार किसी बदले की कार्रवाई का भय माने बिना अपनी बात कह सकता है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने ये कड़ी टिप्पणियां रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्णब गोस्वामी के मामले में सुनवाई के दौरान की थी पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) में दिए गए अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार और आपराधिक मामले की जांच के संबंध में भारतीय दंड संहिता (सीआरपीसी) के प्रावधानों का भी जिक्रकिया। पीठ ने कहा, पत्रकारिता की आजादी संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) में दी गई संरक्षित अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार का मूल आधार है।

धमकी, शारीरिक हमलों के साथ-साथ आपराधिक मुकदमों और गिरफ्तारियों का शिकार होना पड़ता है। आरएसएफ के विश्लेषण में कहा गया है, कश्मीर में भी स्थिति बहुत चिंताजनक बनी हुई है। वहाँ पत्रकारों को अक्सर पुलिस और अर्धसैनिक बलों द्वारा परेशान किया जाता है, कुछ को कई वर्षों तक हिरासत में रखा जाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सूचकांक में कुछ देशों के स्कोर में गिरावट आई है और इसके बावजूद रैंकिंग बेहतर हुई है। ऐसा उन देशों की गिरावट की वजह से हुआ है जो पहले उनसे उपर थे।

रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का दावा 2014 के बाद हुए पत्रकारों पर

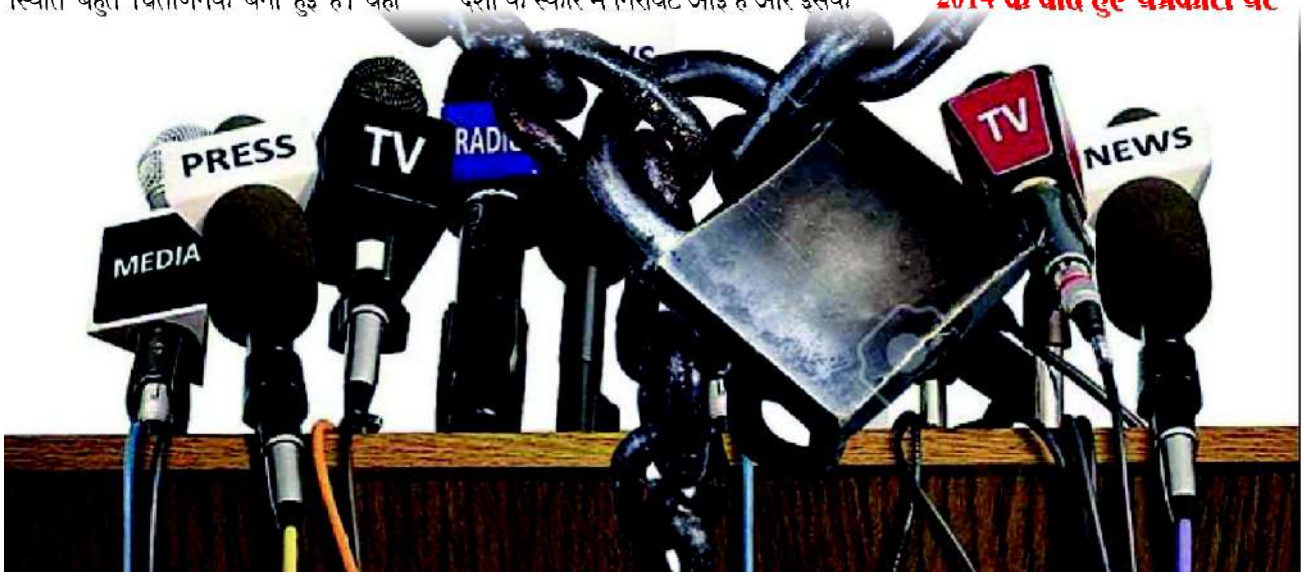

भारत में मीडिया की स्वतंत्रता क्यों महत्त्वपूर्ण है?

■ मीडिया की स्वतंत्रता विचारों, सूचनाओं और विभिन्न दृष्टिकोणों के मुक्त विनिमय को सक्षम बनाती है, जो लोकतंत्र के सुचारू कामकाज में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

■ एक स्वतंत्र प्रेस नागरिकों को सरकारी निकायों और उनके द्वारा किये गए कार्यों के बारे में सूचित कर सकता है। जो सरकार को जवाबदेह बनाता है।

■ यह जनता की ज़रूरतों और इच्छाओं को सरकारी निकायों तक पहुँचाता है, जिससे उन्हें सूचित निर्णय लेने में सहायता मिलती है।

■ यह विचारों की खुली परिचर्चा को बढ़ावा देता है, जो व्यक्तियों को राजनैतिक जीवन में पूर्ण रूप से भाग लेने की अनुमति देता है।

■ यह जनता को स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति का अधिकार प्रदान करता है।

■ यह जनता के उपभोग हेतु जटिल जानकारी को सरल बनाता है।

■ इसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, अन्य तीन स्तंभ विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका हैं।

भारत में मीडिया के अधिकार

भारत में मीडिया द्वारा निम्नलिखित अधिकारों का प्रयोग किया जा सकता है:

■ स्वतंत्र भाषण और अभिव्यक्तिका अधिकार।

■ जानकारी प्राप्त करने और प्रकाशित करने का अधिकार।

■ परिचालित एवं प्रसारित करने का अधिकार।

■ साक्षात्कार आयोजित करने का अधिकार।

■ आलोचना करने का अधिकार।

■ न्यायालयी कार्यवाही की रिपोर्ट करने का अधिकार।

■ विज्ञापन का अधिकार।

पत्रकारों पर हमलों से जुड़े कुछ आंकड़े

■ साल 2021 में भारत में 55 पत्रकारों की हत्या हो गई थी।

■ पत्रकारों के खिलाफ अपराधों में से सिर्फ 14 प्रतिशत मामलों को ही न्यायिक रूप से सुलझाया जा पाता है।

■ पत्रकारों के खिलाफ ऑनलाइन और ऑफ लाइन कई तरह के खतरे बढ़ रहे हैं।

■ पत्रकारों पर विरोध प्रदर्शनों को कवर करते समय हमले होते हैं।

■ महिला पत्रकारों और अल्पसंख्यक समूहों के पत्रकारों पर धमकियां ज्यादा पड़ती हैं।

■ पत्रकारों की कैद की संख्या रिकॉर्ड उंचाई पर है।

■ ऑनलाइन हिंसा और उत्पीड़न से आत्म-सेंसरशिप बढ़ती है और कभी-कभी शारीरिक हमले भी होते हैं।

ज्यादा हमले

दस साल पहले नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से भारत में मारे गए 28 पत्रकारों में से लगभग आधे, जिनमें मीडिया निदेशक, खोजी पत्रकार और संवाददाता शामिल हैं, पर्यावरण से जुड़ी कहानियों पर काम कर रहे थे। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (आरएसएफ) का कहना है कि पत्रकारों की सुरक्षा और उनके खिलाफ हिंसा के अपराधों के लिए दंड से मुक्तिका मुकाबला करना उन चुनावों के केंद्र में होना चाहिए जिसमें मोदी एक और कार्यकाल की मांग कर रहे हैं। 2016 में, उत्तर प्रदेश में जनसंदेश टाइम्स के रिपोर्टर करूण मिश्रा की हत्या कर दी गई और पूर्वोत्तर राज्य बिहार में हिंदुस्तान के रिपोर्टर रंजन राजदेव की हत्या कर दी गई। अवैध खनन गतिविधियों पर काम करने के कारण दोनों

को मोटरसाइकिल सवारों ने गोली मार दी। मध्यप्रदेश में न्यूज वर्ल्ड लोकल टीवी चैनल के लिए रेत माफि या को कवर करने वाले रिपोर्टर संदीप शर्मा की मार्च 2018 में जानबूझकर एक डंपर-ट्रक ने हत्या कर दी। मोदी के 2019 में अपना दूसरा कार्यकाल शुरू करने के बाद भी दुखद हत्याएँ जारी रहीं। कम्पू मेल लोकल अख़बार के रिपोर्टर शुभम मणि त्रिपाठी की जून 2020 में उत्तरप्रदेश की राजधानी लखनउ में गोली मारकर हत्या कर दी गई, उन्होंने चिंता जताई थी कि रेत माफि या द्वारा अवैध उत्खनन के मामलों पर उनके काम के कारण उन्हें निशाना बनाया जा सकता है। रेत माफिया पर रिपोर्टिंग के लिए मशहूर एक स्वतंत्र पत्रकार सुभाष कुमार महतो को मई 2022 में बिहार में उनके घर के बाहर चार अज्ञात हत्यारों ने सिर में गोली मार दी थी। खोजी पत्रकार शशिकांत वारिशे की मौत 6 फरवरी 2023 को महाराष्ट्र के पश्चिमी राज्य में हुई, जब उन्हें एक रियल एस्टेट लॉबिस्ट द्वारा चलाई जा रही एसयूवी ने कुचल दिया। यह लॉबिस्ट अवैध भूमि अधिग्रहण से जुड़ा था। 2014 से पत्रकारिता के सिलसिले में मारे गए 15 अन्य पत्रकारों को भ्रष्टाचार, संगठित अपराध, चुनाव और माओवादी विद्रोह से जुड़ी कहानियों पर काम करने के लिए निशाना बनाया गया था। 28 घातक पीड़ितों में से एक महिला थी। यह गौरी लंकेश थीं। सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़े दूर-दराज के नेटवर्क द्वारा बहुत हिंसक ऑनलाइन उत्पीड़न के अधीन होने के बाद सितंबर 2017 में हिंदू के सदस्यों द्वारा बैंगलोर में उनके घर के बाहर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आरएसएफ के 2023 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 180 देशों में से 161वें स्थान पर है।

कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट (सीपीजे) की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक दिसंबर

2021 तक दुनिया भर में 293 पत्रकार अपने काम के लिए विभिन्न देशों की जेलों में बंद थे। यह लगातार छठा साल है जब 250 से अधिक पत्रकारों के जेल में बंद रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार चीन में पत्रकारों की सबसे बुरी स्थिति है, तो वहीं भारत में साल 2018 के बाद इस साल पत्रकारों की मौतें सबसे ज़्यादा हुई हैं। इस रिपोर्ट में भारत को लेकर कहा गया है कि साल 2018 के बाद इस साल सबसे ज्यादा मौतें पत्रकारों की हुई हैं। जिन पांच पत्रकारों की मौत हुई है उसमें अविनाश झा, बीएनएन न्यूज़ बिहार, चेन्नाकेशवालू, ईवी-5 आंध्रप्रदेश, मनीष कुमार सिंह, सुदर्शन टीवी बिहार, रमन कश्यप, साधना प्लस टीवी उत्तरप्रदेश, सुलभ श्रीवास्तव, एबीपी गंगा, उत्तरप्रदेश के हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया इन पांचों पत्रकारों में से चार पत्रकार स्थानीय टीवी समाचार चैनलों में काम करते थे। इन सभी को उनकी आलोचनात्मक पत्रकारिता के कारण मार दिया गया।

भारत में प्रेस की आज़ादी गिरी

पेरिस स्थित अंतरराष्ट्रीय स्वतंत्र संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स हर साल 180 देशों की प्रेस फ्रीडम रैंक जारी करती है। इस इंडेक्स में भारत की रैंक लगातार गिरती जा रही है। 2017 में 136वें स्थान के बाद 2020 में भारत 180 देशों में 142वें नंबर पर है। संस्था ने भारत को लेकर कहा था कि साल 2020 में लगातार प्रेस की आज़ादी का उल्लंघन हुआ, पत्रकारों पर पुलिस की हिंसा, राजनीतिक कार्यकर्ताओं का हमला और आपराधिक गुटों या भ्रष्ट स्थानीय अधिकारियों ने बदले की कार्रवाई की। लोकसभा में पेश राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक 2013 से अब तक देश में पत्रकारों पर सबसे ज्यादा हमले उत्तर प्रदेश में हुए है। 2013 से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश में पत्रकारों पर हमले के 67 केस दर्ज हुए हैं। दूसरे नंबर पर 50 मामलों के साथ मध्यप्रदेश और तीसरे स्थान पर 22 हमलों के साथ बिहार है। इस दौरान पूरे देश में पत्रकारों पर हमले के 190 मामले सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में पत्रकारों पर सबसे ज्यादा हमले अखिलेश यादव की सरकार में हुए। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार पत्रकारों पर हमले के 2014 में 63, 2015 में 01 और 2016 में 03 मामले दर्ज हैं। जबकि, 2014 में 04 लोग, 2015 में एक भी नहीं और 2016 में 03 लोग गिरफ्तार किए गए। 2017 में आई योगी आदित्यनाथ की सरकार। उसी साल आई द इंडियन फ्रीडम रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में 2017 पत्रकारों पर 46 हमले हुए। इस रिपोर्ट के अनुसार 2017 में पत्रकारों पर जितने भी हमले हुए, उनमें सबसे ज्यादा 13 हमले पुलिसवालों ने किए हैं। इसके बाद, 10 हमले नेता और राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं और तीसरे नंबर पर 06 हमले अज्ञात अपराधियों ने किए।

एक बार फिर सुर्खियों में यूनियन कार्बाइड का कचरा

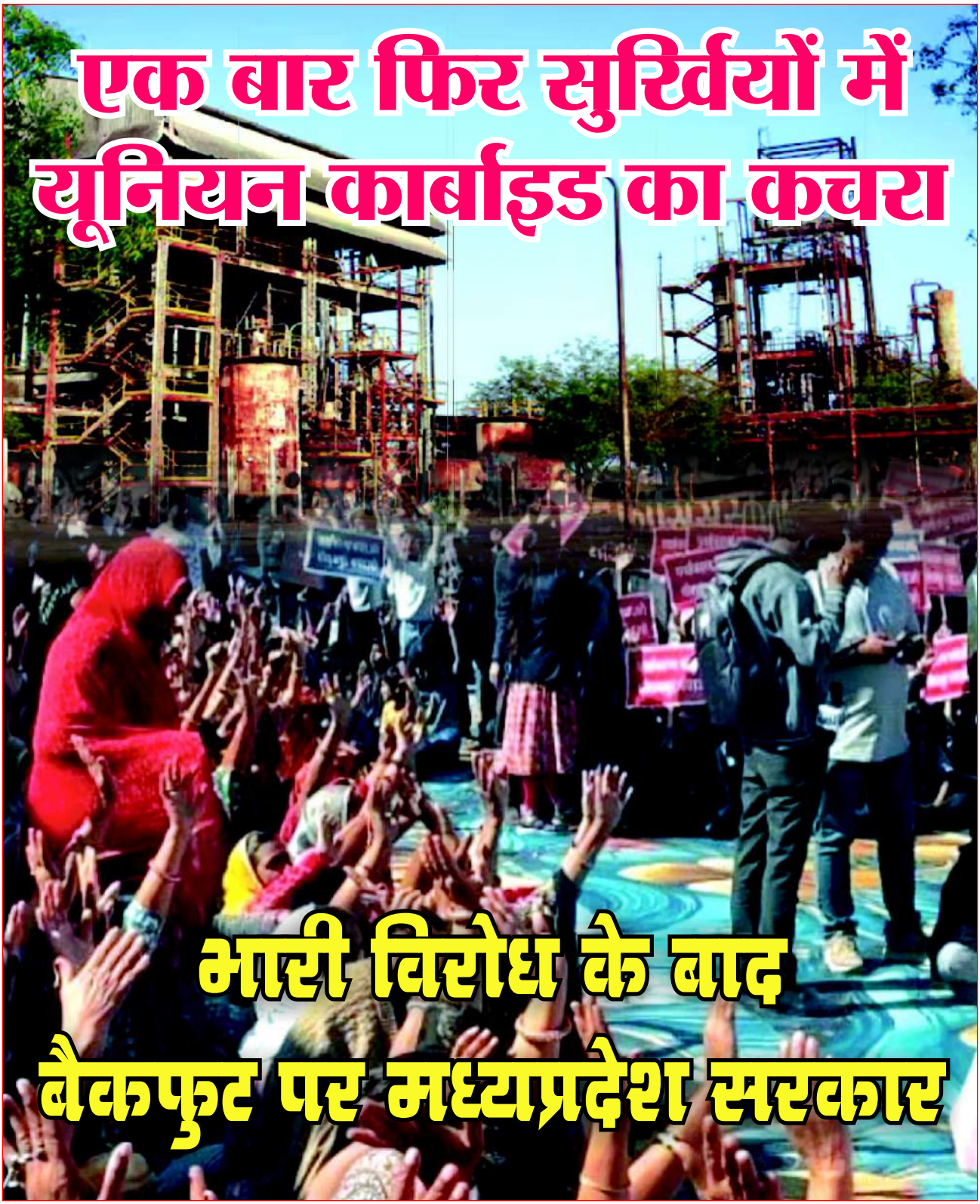

भारी विरोध के बाद बैकफुट पर मध्यप्रदेश सरकार

भोपाल गैस त्रासदी के जख्म अभी भरे नहीं है बल्कि इन्हें कुरेद कर हरे करने के प्रयास किये जा रहे हैं। हाल ही में जहरीले कचरे के निष्पादन के लिए पीथमपुर पहुंचाया गया। पीथमपुर पहुंचते ही विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आये और कोर्ट के हस्तक्षेप से सरकार को फिलहाल अपना फैसला बदलना पड़ा। आपको बता दें कि लोग इससे संक्रमित हुए और आज भी इसका दंश झेल रहे हैं। गैस कांड की वजह से बच्चे कई गंभीर बीमारियों के साथ पैदा होते हैं। अब इसके 337 मीट्रिक टन कचरे को जलाने की खबरों से लोग दहशत में हैं। दरअसल, 2015 में सरकार ने इसके 10 टन खतरनाक कचरे को बतौर ट्रायल जलाया था। इससे पैदा हुई 40 टन राख को इंदौर जिले के पीथमपुर में दफनाया गया था लेकिन इससे 08 किमी क्षेत्र का भूजल दूषित हो गया था। वहीं अब सरकार यहां पड़े 337 मीट्रिक टन कचरे को जलाकर डिस्पोज करने जा रही थी।

विजया पाठक

पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड का कचरा जलाने का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। पीथमपुर में स्थानीय लोगों के भारी विरोध के चलते सरकार बैकफुट पर आ गई है। और सरकार ने फिलहाल कचरे को नष्ट करने की प्रक्रिया को रोक दिया है। भोपाल गैस त्रासदी का जहरीला कचरा पीथमपुर में आया है, तब से इसको लेकर प्रदेश में खूब सियासत हो रही है। पीथमपुर में जलने वाले जहरीले कचरे को लेकर आए दिन कोई न कोई अफवाह फैली। वहीं कांग्रेस भी लोगों के साथ खड़ी नजर आ रही है और पीथमपुर में कचरे को नष्ट करने का विरोध कर रही है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने यूनियन कार्बाइड कचरा निस्तारण के लिए 06 सप्ताह का समय दिया है। 18 फरवरी को मामले पर अगली सुनवाई होनी है। पीथमपुर में विरोध के चलते सरकार ने कचरा निष्पादन के समय मांगा था। सरकार ने अदालत से समय मांगा ताकि लोगों में विश्वास पैदा किया जा सके और उन्हें तथ्यात्मक जानकारी देकर उनके मिथकों को दूर किया जा सके ताकि वे फर्जी खबरों और बदमाशों और निहित स्वार्थों द्वारा फैलाई गई गलत सूचनाओं से गुमराह न हों। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि कचरे का लोगों और फसल पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन भी किया गया। वैज्ञानिकों की

उपस्थिति में यह कदम उठाया गया। मध्यप्रदेश और केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड की निगरानी में कचरा पीथमपुर पहुंचा है। किसी को कोई परेशानी न हो यह ध्यान में रखकर काम किया जा रहा है। राजनीतिक चश्मे से देखकर कोई कुछ कहे तो इसे लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता। अदालत के निर्णय के बाद यह हो रहा है। सरकार ने पूरी संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया है। अदालत के आदेश पर 358 टन यूनियन कार्बाइड का कचरा जिसमें 60 प्रतिशत से अधिक स्थानीय मिट्टी और 40 प्रतिशत सेवन नेफ्टोल है। वैज्ञानिकों के अनुसार इसका जहरीलापन

भोपाल गैस त्रासदी का मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। पहले भोपाल केन्द्र बिन्दु में था आज पीथमपुर है। जहरीले कचले के निष्पादन के विरोध ने इस मामले पर सरकार को झुका दिया है।

40 साल में खत्म हो जाता है। इस तरह उन सभी आशंकाओं की समाप्ति हो जाती है। भोपाल के लोग 40 साल से इस कचरे के साथ रहते आ रहे हैं। कचरे के निपटारे के लिए दुनिया में शायद ही किसी ने इतना अध्ययन किया होगा। समय-समय पर किए गए अध्ययन और प्रतिवेदन और 10 टन कचरे को जलाए जाने की रिपोर्ट भी अदालत में पेश की गई गई थी। इसके बाद दोबारा 10 टन कचरे को पीथमपुर में जलाया गया था। अगस्त 2015 में यह ट्रायल सफलतापूर्वक किया गया था। इन सबके बाद पुनः यह उभर कर आया कि कचरे के निपटारे से पर्यावरण को कोई भारी

साल-दर-साल कचरे का मामला

- यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में पड़े 377 टन जहरीले कूड़े को हटाने के लिए 21 साल की कानूनी लड़ाई भी लड़नी पड़ी। सबसे पहले साल 2004 के अगस्त महीने में भोपाल के रहने वाले आलोक प्रताप सिंह ने एमपी हाईकोर्ट में याचिका दायर की और यूनियन कार्बाइड परिसर में पड़े जहरीले कचरे को हटाने की गुहार लगाई। इसी के साथ पर्यावरण को हुए नुकसान के निवारण की मांग भी की। इसके बाद साल 2005 में हाईकोर्ट ने यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे के निपटान के संबंध में एक टास्क फोर्स की समिति का गठन किया। इस समिति के गठन का उद्देश्य था कि कचरे के सुरक्षित निपटान करने को लेकर अपनी सिफारिशें दें।
- अप्रैल 2005 में केंद्रीय रसायन और पेट्रोलिकेमिकल्स मंत्रालय ने एक आवेदन दायर किया और उच्च न्यायालय से कहा कि कचरा हटाने में आने वाला पूरा खर्च उत्तरदायी कंपनी डाउ केमिकल्स, यूसीआईएल से ही वसूला जाए।
- जून 2005 में एमपी हाईकोर्ट ने आदेश दिया, इस आदेश के अनुपालन में गैस राहत विभाग ने कचरे को पैक करने और भंडारन करने के लिए रामकी एनवायरो फार्मा लिमिटेड को नियुक्त किया। इसी बीच परिसर में करीब 346 टन जहरीले कचरे की पहचान की गई।
- अक्टूबर 2006 में एमपी हाईकोर्ट ने 346 मीट्रिक टन जहरीले कचरे को अंकलेश्वर (गुजरात) भेजने का आदेश दिया था। वहीं, नवंबर 2006 में हाईकोर्ट ने पीथमपुर में टीएसडीएफसुविधा के लिए 39 मीट्रिक टन चूना कीचड़ के परिवन का आदेश दिया।
- अक्टूबर 2007 में गुजरात सरकार ने भारत सरकार को पत्र लिखकर यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा अंकलेश्वर स्थित भरूच एनवायर्नमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में जलने में असमर्थता व्यक्त की।
- अक्टूबर 2009 में टास्क फोर्स की 18वीं बैठक पीथमपुर में 346 मीट्रिक टन जहरीले कचरे को भेजने का फैसला किया गया। फैसले के बाद यह काम नवंबर से ही शुरू कर दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अंकलेश्वर में कचरा भेजना असंभव लग रहा था।
- अक्टूबर 2012 में मंत्रियों के समूह ने ट्रायल के तौर पर 10 मीट्रिक टन जहरीले कचरे को पीथमपुर में टीएसडीएफ सुविधा में जलाने का फैसला लिया गया। इसके बाद अप्रैल 2014 में देश के शीर्ष न्यायालय ने पीथमपुर में 10 टन कचरा नष्ट करने की योजना बनाने के लिए आदेश दिया।
- दिसंबर 2015 में देश के शीर्ष न्यायालय ने 337 मीट्रिक टन जहरीले कचरे को पीथमपुर में निपटाने का आदेश दिया। बाद में अप्रैल 2021 में मध्यप्रदेश की सरकार ने इस कचरे के निपटान के लिए टेंडर आमंत्रित किए। नवंबर 2021 में रामकी को टेंडर दे दिया गया।
- दिसबंर 2024 में एमपी के हाईकोर्ट ने जहरीले कचरे में निपटान में हो रही देरी पर फटकार लगाई और कहा कि एक महीने के अंदर यहां से कचरा हटाया जाना चाहिए। कोर्ट के फटकार के बाद कवायद तेज की गई।

नुकसान नहीं हुआ है।

गौरतलब है कि 12 कंटेनर और कड़ी सुरक्षा के बीच यूनियन कार्बाइड का कचरा भोपाल से पीथमपुर पहुंचा दिया गया है। जिसे लेकर पीथमपुर से लेकर इंदौर तक विरोध जताया गया। राजधानी में 40 साल पहले यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, जिससे हजारों लोग काल के गाल में समा गए थे। वहीं लाखों

भोपाल गैस त्रासदी के कचरे को पीथमपुर में जलाने को लेकर भारी विरोध का समाना करना पड़ा। स्थानीय स्तर पर कई संगठन विरोध में उतरे और सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ा।

लोग इससे संक्रमित हुए और आज भी इसका दंश झेल रहे हैं। गैस कांड की वजह से बच्चे कई गंभीर बीमारियों के साथ पैदा होते हैं। अब इसके 337 मीट्रिक टन कचरे को जलाने की खबरों से लोग दहशत में हैं। दरअसल, 2015 में सरकार ने इसके 10 टन खतरनाक कचरे को बतौर ट्रायल जलाया था। इससे पैदा हुई 40 टन राख को इंदौर जिले के पीथमपुर में दफनाया गया था लेकिन इससे 08 किमी क्षेत्र का भूजल दूषित हो गया था। वहीं अब सरकार यहां पड़े 337 मीट्रिक टन कचरे को जलाकर डिस्पोज करने जा रही थी। हालांकि, इसका क्या असर होगा, ये कह पाना मुश्किल है। यही वजह है कि जिस जगह पर यह जहरीला कचरा जलाया जाना है, वहां के लोग विरोध पर उतर आए हैं।

क्या हुआ था 40 साल पहले?

उल्लेखनीय है कि तीन दिसंबर 1984 की सुबह की घटना जब भी लोगों के जहन में आती है, एक डरावनी तस्वीर सामने आने लगती है। इस दिन भोपाल में स्थित एक यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन के स्वामित्व वाली एक कीटनाशक फैक्ट्री से

मुख्यमंत्री मोहन यादव का खेल तो नहीं यूनियन कार्बाइड का ज़हरीला कचरा?

यूनियन कार्बाइड का ज़हरीला कचरा आखिर इंदौर के समीप पीथमपुर पहुँचा ही दिया गया। सरकार के सूत्र बताते हैं कि डॉक्टरों, विशेषज्ञों, सामाजिक संगठनों से लेकर स्थानीय नागरिकों और पक्ष-विपक्ष के जनप्रतिनिधियों के विरोध के बावजूद यह कचरा पीथमपुर में ही जलाया जायेगा। ऐसा इसलिये नहीं कि यही सही फैसला है, बल्कि इसलिये कि ये पूरा खेल हज़ारों करोड़ की डीलिंग का भी है। इस पूरे खेल के असली किरदार कौन हैं, यह तो वक्त के साथ पता चलेगा। 02 एवं 03 दिसंबर, 1984 की रात को यूनियन कार्बाइड कीटनाशक फैक्ट्री से अत्यधिक जहरीली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हुई थी, जिससे कम से कम 5,479 लोगों की मौत हो गई थी और हज़ारों लोगों को गंभीर और दीर्घकालिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो गई थीं। भोपाल गैस त्रासदी के बाद यूनियन कार्बाइड की मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक होने लगी। लीक हुई गैस की चपेट में हजारों लोग आए थे। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि इस हादसे में पांच हजार लोगों की जान गई थी। हालांकि, स्थानीय लोगों ने कहा था कि इस हादसे में इससे भी ज्यादा लोगों ने जान गवाईं थी। यूनियन कार्बाइड परिसर में 337 मेट्रिक टन टॉक्सिक बेस्ट पड़ा हुआ है। उसके संबंध में 03 दिसंबर 2024 को

कीटनाशक फैक्ट्री हमेशा के लिये बंद हो गई और फैक्ट्री को बैंकों से मिला कर्ज़ ग़्घ्क्ष्होकर डूबने की श्रेणी में आ गया। लोन देते वक्तबैंक ने यूनियन कार्बाइड की ज़मीन और अन्य संयंत्रों को मॉडगेज कर लिया था, इसलिये बैंकों के पास अपना कर्ज़ वसूलने का एक मात्र विकल्प था यूनियन कार्बाइड की ज़मीन की बिकवाली कर कर्ज वसूलना। बैंक यूनियन कार्बाइड की भूमि नीलाम करने की योजना बनाते भी तो कैसे, क्योंकि नीलामी में सबसे बड़ी बाधा इस ज़मीन पर रखा 347 मैट्रिक टन ज़हरीला कचरा था, जिसके निस्तारण के बिना भूमि को बेच पाना लगभग नामुमकिन था। यहीं से घोटाले का सारा खेल शुरू हुआ और बीजेपी के मध्यप्रदेश से लेकर केन्द्र तक के कुछ नेताओं की नज़र में पूरा मामला आ गया। अब इस ज़मीन से कचरा हटाना और जमीन हथियाना बीजेपी नेताओं की पहली प्राथमिकता बन गई। बीजेपी के धुरंधर नेताओं ने देश-विदेश एक करते हुए बैंकों से संपर्क किया और ज़मीन से ज़हरीला कचरा हटाने के एवज़ में यह शर्त रखी कि नीलामी में यह ज़मीन उन्हें/उनके साथियों को ही दी जायेगी। अपना करोड़ों रूपये का कर्ज वसूलने के लिए बैंक ने भी बीजेपी नेताओं को ही ज़मीन बेचने की शर्त मान ली और पूरा काम बीजेपी नेताओं को ठेके पर दे दिया। बीजेपी नेताओं ने खुद को सुरक्षित रखने के लिए कुछ स्थानीय लोगों और भूमाफ़ियों से कोर्ट में केस लगवा दिया और फिर अदालत के कंधे पर रखकर बंदूक चलाते रहे। अभी भी जो कचरा भोपाल से पीथमपुर भेजा गया है, उसके पीछे अदालती आदेश का ही हवाला दिया जा रहा है, जबकि अदालती आदेश केवल जनता की आँखों में धूल झोंकने की कोशिश है। मोहन यादव सरकार ने पीथमपुर की कचरा जलाने वाली संस्था मेसर्स पीथमपुर इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड को दिनांक 29 मई 2024 को ही 20 प्रतिशत की राशि 21.37 करोड़ का भुगतान भी कर दिया था। जब पीथमपुर के लोगों ने विरोध शुरू किया तब सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया के पीछे अदालत के आदेश का हवाला दिया, जबकि हकीकत में मोहन यादव सरकार ने अदालत के आदेश के पहले ही पूरी प्रक्रिया कर भुगतान तक कर दिया था। मोहन यादव सरकार ने अपना दामन सुरक्षित रखने के लिये अदालत से भी एक आदेश निकलवा दिया ताकि जनता का संदेह बीजेपी के भ्रष्ट नेताओं पर नहीं जाये।

इन सवालों के जवाब कौन देगा?

- वो कौन लोग थे जो बार-बार अदालत जाकर भोपाल से कचरा कहीं और भेजना चाहते थे?
- अदालत के फैसले के बाद मोहन यादव सरकार ने अपील में जाने या अन्य रास्ता खोजने की बजाय रातों रात कचरा पीथमपुर भेजने का विकल्प क्यों चुना?
- इंदौर के प्रभारी मंत्री और मुख्यमंत्री मोहन यादव जनता के साथ क्यों खड़े नहीं नज़र आये?
- जो कचरा 40 वर्षों से एक जगह पर पड़ा था, ऐसी क्या वजह रही कि मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के एक वर्ष में ही वो पीथमपुर भेज दिया गया।
- मोहन यादव विशेषज्ञों की बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? कौनसा प्रेशर है जो पूरे मालवा की जान ख़तरे में डाल दी गई है?
- बीजेपी के वो कौन से नेता हैं जो इस पूरे मामले के लाभार्थी हैं?
- भोपाल की यूनियन कार्बाइड की ज़मीन ख़ाली होने के बाद बीजेपी के कौन लोग इस ज़मीन का इस्तेमाल करने वाले हैं? कुल मिलाकर यह पूरा खेल ज़मीन माफिया, बीजेपी और भ्रष्ट अधिकारियों/मंत्रियों की कारगुज़ारी का है। लाखों लोगों की जान संकट में डालकर ये अपनी तिजोरी भरना चाहते हैं। इन बेईमानों को कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता कि मालवा की आने वाली पीढ़ियां विकलांग पैदा होंगी या हर घर में कैंसर से मौत होगी।

हाईकोर्ट जबलपुर ने ऑर्डर के तारतम्य में कार्रवाई चल रही है। उसमें स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि 337 मेट्रिक टन जो कचरा है, 04 हफ्ते अंदर में पीथमपुर में निष्पादन किया जाए, जहां 2015 में 10 टन कचरा निष्पादन किया गया था। उसकी जो रिपोर्ट आई है फेयरवेल रही है। कोई भी पर्यावरण को नुकसानदायक नहीं रहा है। जो वेस्ट पड़ा हुआ है उसे प्रॉपर पैकिंग करके सेंट्रल

यूनियन कार्बाइड गैस लीक कांड में गई थीं हजारों जानें

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में हुई त्रासदी को दुनिया की सबसे भीषण औद्योगिक आपदाओं में से एक माना जाता है। 02 और 03 दिसंबर, 1984 की मध्य रात्रि अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन की भोपाल स्थित कीटनाशक फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हुई। भोपाल के लाखों लोग इस जहरीली गैस की चपेट में आ गए। सरकारी आंकड़ों में इस गैस रिसाव से 5479 लोगों की मौत का दावा किया जाता है, लेकिन सामाजिक संगठनों का दावा है कि इस त्रासदी में 10 हजार से अधिक लोगों की मौत हुई थी। फैक्ट्री में कचरा 40 साल तक पड़ा रहा और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 03 दिसंबर, 2024 को सुप्रीम कोर्ट सहित विभिन्न अदालतों के निर्देशों के बावजूद इसे साफ नहीं करने के लिए राज्य सरकार की खिंचाई की थी। हाईकोर्ट ने अधिकारियों को इस मामले में निष्क्रिय पड़े रहने के लिए फटकार लगाते हुए, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से करीब 337 टन औद्योगिक कचरे को हटाने के लिए 04 सप्ताह की समय सीमा निर्धारित की थी और सरकार से इस संबंध में 06 जनवरी को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा था। कोर्ट के निर्देश पर मोहन यादव की सरकार ने यूनियन कार्बाइड से 12 ट्रकों में कचरा भरकर पीथमपुर पहुंचाया, जहां जलाकर इसका निपटान होना था। लेकिन स्थानीय लोगों और कुछ सामाजिक संगठनों ने पीथमपुर में भोपाल गैस त्रासदी का कचरा जलाए जाने का उग्र विरोध किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि पीथमपुर में कचरा जलाए जाने से आसपास के इलाके में गंभीर प्रदूषण फैल सकता है और उन्हें स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं।

पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों के सुपरविजन में प्रापर सेफ्टी गाइडलाइन पालन करते हुए इसका निष्पादन पीथमपुर में किया जाएगा।

क्या है कचरे के निष्पादन की कहानी?

अभी कचरे को सिर्फ पहुंचाया गया है, उसे जलाया नहीं जाएगा

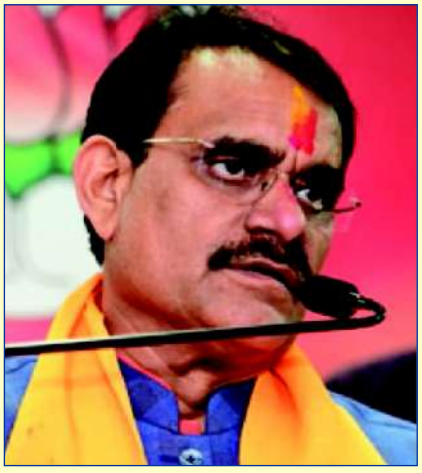

इस तरह का कचरा पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। 25 साल के बाद उसमें कुछ भी खतरनाक नहीं बचता है। यह तथ्यों पर आधारित बात है। इस मामले में प्रशासन की भी कहीं न कहीं चूक हुई है। सही तरीके से बातों को जनता के बीच में नहीं रखा जा सका। जिसके चलते जनता इस पर रोष प्रकट कर रही है और हम कोर्ट के सामने जनता का पक्ष रखेंगे। अभी कचरे को सिर्फ पहुंचाया गया है, उसे जलाया नहीं जाएगा।

वीडी शर्मा, अध्यक्ष, मध्यप्रदेश बीजेपी

मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में तीन दिसंबर 1984 को हुई गैस त्रासदी के ज़ख़्म अब भी हरे हैं। इसी त्रासदी के 40 साल बाद, इस साल एक जनवरी को 350 मीट्रिक टन ज़हरीला कचरा भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्टरी से उठाकर पीथमपुर स्थित प्लांट ले जाया गया है। 04 दिसंबर 2024 को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए चार सप्ताह के अंदर कचरे को भेजने का आदेश दिया था। इसके बाद कवायद तेज करते हुए सरकार ने कचरे को पीथमपुर पहुँचाने की प्रक्रिया 29 दिसंबर को शुरू की। चार दिन तक चली इकट्ठा करने की प्रक्रिया में कचरे को बैग्स में भरा गया। स्थानीय लोगों का विरोध है कि इस कचरे को पीथमपुर में जलाने से उनके लिए समस्याएँ खड़ी होंगी।

रिपोर्ट ने भी माना था जहरीला है कचरा-

आखिर यूनियन कार्बाइड की जमीन को कौन खरीदना चाहता है?

मुख्यमंत्री से लेकर अब अधिकारी तक दावा कर रहे हैं कि कचरे की विषाक्तता खत्म हो गई लेकिन सवाल ये है कि क्या मुख्यमंत्री ने कभी इसका अध्ययन किया है। इस तरह के बयान बताते हैं कि सरकार की इसको लेकर गंभीरता कम है। आखिर यूनियन कार्बाइड की जमीन को कौन खरीदना चाहता है। स्थानीय स्तर पर विरोध के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि 25 साल में कचरे का जहर अपने आप खत्म हो जाता है। यदि इसका जहर खत्म हो गया तो फिर सरकार उसे पीथमपुर में ही क्यों जला रही है। इस कचरे को भोपाल में ही जलाया जा सकता है। आखिर इसको जलाने पर सरकार 121 करोड़ रुपए क्यों खर्च कर रही है। आखिर गैस त्रासदी के नाम पर सरकार 05 हजार करोड़ का बजट क्यों रखती आ रही है।

जीतू पटवारी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मप्र

कोर्ट के आदेशों पर की जा रही है कार्रवाई

पूरी कार्रवाई कोर्ट के आदेशों पर की जा रही है। 20 साल से मामला कोर्ट के अधीन है, जिसको भी कोई तथ्य रखने से कोर्ट के सामने रखना चाहिए। अब कोर्ट ने फैसला दे दिया है। हम उसके अनुरूप काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यदि कोई अब इस पर सवाल उठा रहा है, तो वह कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहा है। हमारे काम में रुकावट कोई डालेगा तो हम रिपोर्ट भी कर सकते है। पूरे ज़हरीले कचरे का डिस्पोजल उच्चतम वैज्ञानिक मानकों और प्रक्रियाओं के अनुसार किया जाना है। पीथमपुर का प्लांट अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है।

स्वतंत्र कुमार सिंह, संचालक, मध्यप्रदेश गैस राहत एवं पुनर्वास विभाग

ये कचरा पीथमपुर में डिस्पोज न किया जाए

इस कचरे को भोपाल से पीथमपुर लाकर जलाने की योजना का हम विरोध कर रहे हैं। हमें इसके असर के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। अगर इसको जलाने से या डिस्पोज करने से कोई समस्या नहीं होगी तो फिर भोपाल में ही इसको डिस्पोज क्यों नहीं किया गया? हम किसी के खिलाफ नहीं हैं बस ये कचरा यहाँ डिस्पोज न किया जाए। जो भोपाल के लोग झेल रहे हैं, वहीं समस्याएँ पीथमपुर में क्यों खड़ी की जा रही हैं?

रजत रघुवंशी, स्थानीय निवासी, पीथमपुर

डिस्पोज करने के बाद अपनी वाहवाही नहीं करनी चाहिए

जो कचरा एक शेड में रखा था, उसको डिस्पोज करने के बाद अपनी वाहवाही नहीं करनी चाहिए, बल्कि पूरा ध्यान जो कचरा खुले में पड़ा है, जो ज़मीन के नीचे दबा हुआ है और जो आसपास के हज़ारों परिवारों का जीवन तबाह कर चुका है, उस पर ध्यान देना चाहिए। सरकार खुद कह रही है कि पीथमपुर भेजे गए कचरे में 60 प्रतिशत धूल है, तो जो धूल यूनियन कार्बाइड फैक्टरी के इलाके में है, उसके निपटारे की ओर ध्यान क्यों नहीं है?

एनडी जयप्रकाश, सह संयोजक, भोपाल गैस पीड़ति संघर्ष सहयोग समिति

बड़ा सवाल : कचरे के निष्पादन में जानमाल का नुकसान हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा?

मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के केमिकल कारखानों से निकलने वाले विषाक्त कचरे को यहीं जलाया जाता है, जो यूनियन कार्बाइड से एकत्रित कचरे से अधिक विषाक्त होते हैं। इसलिए लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। माननीय न्यायालय के आदेशानुसार और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की देखरेख में यह किया जा रहा है। पीथमपुर पहुँचाया गया कचरा पूरे 11 लाख मीट्रिक टन विषाक्त कचरे का सिर्फ़ एक छोटा सा हिस्सा है। साल 2010 में हाईकोर्ट के निर्देश पर मध्यप्रदेश सरकार ने नागपुर स्थित नेशनल एन्वायरनमेंटल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट (नीरी) और हैदराबाद स्थित नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट (एनजीआरआई) से ज़हरीले कचरे और

वेस्ट डिस्पोजल के लिए पीथमपुर को ही क्यों चुना गया?

पीथमपुर का वेस्ट डिस्पोजल प्लांट मध्यप्रदेश का एकमात्र अत्याधुनिक कचरा निपटान संयंत्र है। कचरे को जमीन से 25 फीट उपर एक विशेष लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर जलाया जाएगा और यह सुनिश्चित करने के लिए सख्त साइंटिफिक प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा कि कोई पर्यावरणीय प्रदूषण न हो। मौसम और तापमान जैसे कारकों के आधार पर कचरे को जलाने का सबसे अच्छा समय निर्धारित करने के लिए परीक्षण किए जाएंगे। 90 किग्रा/घंटा की गति से, 337 टन कचरे का निपटान करने में लगभग 153 दिन लगेंगे और यदि गति को 270 किग्रा प्रति घंटा तक बढ़ा दिया जाए तो 51 दिन लगेंगे।

उससे हुए प्रदूषण की जाँच कराई थी। नीरी की रिपोर्ट में बताया गया कि वहाँ की मिट्टी में एल्डीकार्ब, कार्बेरिल, ए-नेफ्थॅल, डाइक्लोरोबेंजीन और पारे जैसे खतरनाक रसायन पाए गए हैं। इसके अलावा इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि दूषित मिट्टी की कुल मात्रा करीब 11 लाख मीट्रिक टन है। इतने सालों तक यह ज़हरीला कचरा वहीं पड़ा रहा, जिससे स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। सरकार ने जितना कचरा भोपाल से पीथमपुर पहुँचाया है, वो पूरे दूषित कचरे का एक प्रतिशत भी नहीं है। नीरी की रिपोर्ट के अलावा भी यूनियन कार्बाइड फैक्टरी के बाहर कई डम्पिंग और लैंडफिल स्थल हैं, जिनमें फैक्टरी के कचरे को ग़ैर जिम्मेदाराना तरीके से डम्प किया गया था। इन रासायनिक और ज़हरीले कचरे से भरे तालाबों से बहुत सारे ख़तरनाक तत्व धरती में रिसकर आसपास के पानी के स्रोत और मिट्टी को बर्बाद कर चुके हैं। सरकार को इस कचरे पर भी ध्यान देना चाहिए वरना इसका कोई असर नहीं होगा और लोग परेशान होते रहेंगे।

पीथमपुर में कचरा जलाने को लेकर सरकार को भारी विरोध का सामना करना पड़ा और कचरे को जलाने की प्रक्रिया रोकनी पड़ी। मामले को लेकर राज्य सरकार की ओर से शपथ पत्र पेश किया गया। शपथ पत्र पर हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए पीथमपुर में फ़िलहाल कचरा जलाने पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट का कहना है कि जब तक सभी पक्ष एक राय नहीं होंगे या अपनी सहमति नहीं देंगे तब तक यूनियन कार्बाइड का कचरा नहीं जलाया जाएगा। गौरतलब है कि मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने 03 दिसंबर 2024 को आदेश दिया था कि इस रासायनिक कचरे को वैज्ञानिक विधि से नष्ट किया जाए। 06 जनवरी को इस मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर में मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैथ की पीठ में सुनवाई हुई। ठीक 40 साल पहले यानी 1984 में यूनियन कार्बाइड कारखाने में खतरनाक गैस मिथाइल आइसोनेटे लीक होने से 08 हजार से अधिक लोगों की जान चली गई थी, जबकि हजारों लोग प्रभावित होकर अपंगता और अंधेपन के शिकार हुए थे।

यूनियन कार्बाइड सियासत के घेरे में

रघु ठाकुर

अंततः यूनियन कार्बाइड के कचरे को पीथमपुर में जाकर नष्ट करने का तय हुआ। हाईकोर्ट के निर्देश व मप्र सरकार की पहल पर यह निर्णय अमल में आना शुरू हुआ। 1984 में लगभग 40 साल पहले भोपाल में यूनियन कार्बाइड में गैस रिसी थी और जिसके चलते सैकड़ों लोग मारे गये थे तथा लाखों लोग प्रभावित हुये थे। यूनियन कार्बाइड का कारखाना कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ही मिक गैस का रिसाव हुआ था। यह गैस त्रासदी दुनिया में एक बड़ी त्रासदी थी। यूनियन कार्बाइड के मालिक विदेशी एनडरसन थे और उस समय स्व. अर्जुन सिंह मप्र के मुख्यमंत्री थे और तथा केंद्र में स्व. राजीव गांधी श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद प्रधानमंत्री बन चुके थे। यद्यपि यह भी विचित्र है, और हमारे देश जनतंत्र कितना बिकाउ है इसका भी प्रमाण है, कि लोग सभा के चुनाव भोपाल में इस गैस त्रासदी के कारण 06 माह को स्थगित कर दिये गये थे और प्रदेश सरकार ने इन 06 माह में फ्री राशन बाँटना शुरू किया था जिसकी कोई सीमा नहीं, जितना ले जा सकता है वह ले जाये और 6 माह के बाद जब चुनाव हुए तो इसी कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी जो इस घटना के लिये सबसे बड़ी अपराधी थी, भारी मतों से जीतकर आये। लगातार मीडिया के प्रचारात्मक दबाव में कंपनी के मालिक के खिलाफ भोपाल की अदालत में मुकदमा दर्ज हुआ था और भारत सरकार के निर्देश पर कंपनी के मालिक एंडरसन दिखावटी पेशी करने के लिये भोपाल आये थे। वे अमेरिका से चलकर दिल्ली पहुंचे थे और दिल्ली से शायद सरकारी विमान से भोपाल आये थे। भोपाल में कलेक्टर और एसपी ने उनकी अगवानी की थी तथा कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी और उसके बाद वह वापिस नहीं लौटे। सरकारें कैसे वैश्विक पूंजीपतियों के दबाव में काम करती हैं, उसका यह प्रमाण था। परंतु इतनी बड़ी घटना के बाद भी भोपाल के मतदाताओं का जमीर नहीं जागा। यूनियन कार्बाइड से जो हर्जाने की राशि आई उसकी बंदरबांट शुरू हुई और जो जितना ताकतवर था वह अपने हिस्से में सही या गलत उतना ही ले गया। चूँकि मिक गैस भारी होती है। अतः उसका सर्वाधिक प्रभाव भोपाल के

निचले हिस्से में हुआ थास जहां आमतौर पर भोपाल के गरीब लोग रहते थे, परंतु कुछ ही समय बाद नये भोपाल के उँचाई पर स्थित उन पढ़े-लिखे और ताकतवर लोगों ने हर्जाना व पैसा मांगना शुरू कर दिया जिनमें से शायद ही कोई वास्तविक गैस पीड़ित हो। और यह मांग एक प्रकार से राजनैतिक एजेंडा बन गई।

लगभग 25 वर्ष पूर्व स्व. आलोक प्रताप सिंह ने जबलपुर उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी कि यूनियन कार्बाइड का जो कचरा है वह जहरीला है अतः उसे भोपाल से हटाकर नष्ट किया जाये। इस याचिका के पीछे क्या कारण थे या कौन लोग थे यह कहना कठिन है परंतु हाईकोर्ट ने मप्र सरकार को कचरा हटाने के और उसके निस्तारण के निर्देश दिये। यह भी विचित्र है क्योंकि गैस घटना के कुछ दिनों बाद भोपाल के लोगों में सुरक्षा का विश्वास जगाने के लिये दो घटनायें हुई थीं-

■ स्व. राजीव गांधी प्रधानमंत्री व स्व. अटल बिहारी वाजपेयी विरोधी दल के नेता साथ-साथ भोपाल आये थे, कारखाने में गये थे और यह प्रचारित हुआ था कि गैस का जहरीलापन खत्म हो गया है। इस घटना को मीडिया ने जोर-शोर से प्रचारित किया था। हालांकि वही मीडिया अब अलग पक्ष रख रहा है। राजीव गाँधी, अटल बिहारी वाजपेयी की यह मित्रता व्यक्तिगत थी और दोनों दलों के छिपे गठबंधन की भी थी।

■ दूसरी घटना हुई थी कि जब मोतीलाल वोरा मुख्यमंत्री थे, भोपाल में एक यज्ञ शंकराचार्य स्वरूपानंद जी के सानिध्य में आयोजित किया गया था जो शासन द्वारा प्रायोजित था और जिसका भारी प्रचार हुआ था कि यह यज्ञ भोपाल के वायुमंडल के शुद्धिकरण के लिये है। जब प्रधानमंत्री व विरोधी दल के नेता ने गैस के असर को समाप्त होने का प्रमाण दे दिया जब शंकराचार्य ने वायुमंडल को शुद्ध कर दिया तो यह कचरे का जहर कहां से आ गया?

हाईकोर्ट के निर्देश के बाद लगातार प्रदेश सरकार इस कचरे के निस्तारण के लिये स्थान खोजने में प्रयासरत थी और अंततः जाकर यूनियन कार्बाइड का 337 टन कचरा धार जिले के पीथमपुर जो कि एक औद्योगिक केंद्र है, में निस्तारण का फैसला हुआ। कचरे की पहली खेप 33 टन की है वह पहुंचा दी गई है। एक प्रमुख दैनिक अखबार ने इस घटना को ऐसा छापा है कि जैसे यह कोई महान घटना हो। उसके अनुसार आखिर 40 साल बाद भोपाल का बोझ उतरा परंतु यह नहीं सोचा जा रहा है कि यह कचरा अगर जहरीला था और बोझ है तो

इसे पीथमपुर क्यों ले जाया गया। आखिर जो लोग वहां रहते हैं क्या वे इंसान नहीं हैं? और राजधानी के जहर को सत्ता की ताकत से राज्य के छोटे कस्बे में ले जाकर वहां के जनजीवन को खतरे में डालना क्या उचित है और अमानवीय नहीं है? यह भी कहा जा रहा है कि इस कचरे को 1200 डिग्री सेल्सियस पर जलाया जायेगा जिसमें 150 मजदूर लगेंगे। अगर कचरे को जलाना उसका हल था तो भोपाल में क्यों नहीं जलाया गया। यूनियन कार्बाइड के आसपास अभी भी सघन बस्तियाँ बसी हैं जहां हजारों लोग रहते हैं। प्रतिवर्ष कारखानों में 3 दिसंबर को प्रार्थना सभायें इत्यादि होती हैं। यूनियन कार्बाइड परिसर में जानवरों व लुके छिपे लोगों का आना-जाना होता है। अगर वह सभी सुरक्षित हैं तो इसका मतलब कचरे में जहर नहीं बचा है। इसके बावजूद भी अगर उच्च न्यायलय व सरकार को केवल भोपाल के स्वास्थ्य की चिंता है तो यह एक असंवैधानिक निर्णय व कदम है, जो उच्च न्यायालय व सरकार उठा रही है। पीथमपुर और इंदौर में स्थानीय लोगों ने इसका विरोध भी शुरू किया है और स्थानीय भाजपा के लोगों की यह लाचारी है कि वे अपने राजनैतिक हितों के आधार पर इस विरोध में भले ही दिखावे को सही पर सहभागी बने। अब इस विरोध को शांत करने के लिये मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भाजपा के नेता व सरकार के वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को जिम्मा दिया है। निःसंदेह यह उनका चतुर निर्णय है क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय स्वतः ही पहले पीथमपुर के कचरे के निस्तारण का विरोध कर चुके हैं और अब उन्हें ही इसका समर्थन करना है। 12 साल पहले जर्मनी जो भोपाल से 6000 किमी दूर है, वहां की संस्था जीआईजेड ने मात्र 25 करोड़ रुपये में कचरे को जर्मनी के हम्बर्ग में ले जाकर निस्तारण करने का प्रस्ताव दिया था, तब सरकार ने इसे मंजूर क्यों नहीं किया? और अब इसी कचरे के निस्तारण पर केंद्र सरकार को 126 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ रहा है। इस कचरे को पहले गुजरात के अंकलेश्वर और महाराष्ट्र के नागपुर में भी निस्तारण की योजना बनाई थी परंतु वहां के स्थानीय लोग व राज्य सत्ता की असहमति से इस योजना को रद्द कर दिया गया था। उस समय

यूनियन कार्बाइड के आसपास अभी भी सघन बस्तियाँ बसी हैं जहां हजारों लोग रहते हैं। प्रतिवर्ष कारखानों में 3 दिसंबर को प्रार्थना सभायें इत्यादि होती हैं। यूनियन कार्बाइड परिसर में जानवरों व लुके छिपे लोगों का आना-जाना होता है।

गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी थी, उन्होंने अपने प्रदेश के कचरे के निस्तारण को इंकार किया था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब प्रधानमंत्री के इशारे पर लाचार मुख्यमंत्री को मप्र में ही इसके निस्तारण के लिये स्वीकृति देना पड़ी। हालांकि 4 जनवरी 2025 को स्थानीय लोगों ने जिस तीव्रता से पीथमपुर में कचरा जलाने का विरोध किया। दो लोगों ने आग लगाकर आत्महत्या का निर्णय किया, उसके बाद, राज्य सरकार ने इस कार्यवाही को रोक दिया तथा कहा है कि जन भावनाओं से माननीय हाईकोर्ट को अवगत कराएंगे। हाईकोर्ट ने फिलहाल कचरे को जलाने पर रोक लगाने के निर्देश दिये हैं। यूनियन कार्बाइड लगभग 85 एकड़ की जमीन पर स्थापित था और इस कचरे के हटने के बाद जमीन पर शुद्धिकरण का कुछ नाटक होगा और फिर शायद यह जमीन बड़े-बड़े बिल्डरों को जिनकी पहुंच केंद्रीय सत्ता, राज्य सत्ता और मीडिया तक है, को दे दिया जायेगा। जहरीले कचरे के भये से और वैसे भी अपनी आर्थिक स्थिति के चलते यहां जमीन कोई सामान्य व्यक्ति तो नहीं ले सकेगा और संभव है इस आधार पर इस जमीन को सस्ते दामों पर मिटटी के भाव पर बिल्डर या उद्योगपति खरीद लें और उसका इस्तेमाल अपने व्यापार के लिये करें।

अंत में इतना ही, और कि अगर सरकार यह मानती है कि यूनियन कार्बाइड में कचरे का जहर समाप्त हो गया है तो सरकार को चाहिए कि विधायक, शीर्ष अधिकारी, सांसदों, पूर्व सांसदों व पूर्व विधायकों को वहां आवास बनाकर दिया जाए। 85 एकड़ जमीन में शानदार विलासितापूर्ण भवन बन जायेंगे और हमारे विधायक, सांसद,अफसर बड़े आवासों में रह सकेंगे। कांग्रेस पार्टी भी केवल राजनैतिक लाभ के लिये बयानबाजी कर रही है। मीडिया के अनुसार जीतू पटवारी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, श्रीमती सुमित्रा ताई से मिले। इतने वर्षों से जब यह मामला कोर्ट में चल रहा था तब वे व उनकी पार्टी मौन थी, उनकी पार्टी ने कभी भी विधानसभा या संसद में यह मुद्दा नहीं उठाया। जबकि वह स्वतः भी मालवा के निवासी हैं। कुल मिलाकर भाजपा व कांग्रेस तुम दोषी-तुम दोषी का नाटक खेलेगी, आम जनता को मूर्ख बनायेगी और सरकार कचरे के साथ-साथ जनआक्रोश का निस्तारण कर देगी।

हाईकोर्ट ने फिलहाल कचरे को जलाने पर रोक लगाने के निर्देश दिये हैं। यूनियन कार्बाइड लगभग 85 एकड़ की जमीन पर स्थापित था और इस कचरे के हटने के बाद जमीन पर शुद्धिकरण का कुछ नाटक होगा और फिर शायद यह जमीन बड़े-बड़े बिल्डरों को जिनकी पहुंच केंद्रीय सत्ता, राज्य सत्ता और मीडिया तक है, को दे दिया जायेगा।

क्या दलितों के अत्याचार पर केन्द्रित रहा मोहन सरकार का एक साल?

कर्ज के भरोसे चल रही सरकार

कमलनाथ

मध्यप्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार का एक साल का कार्यकाल 13 दिसंबर को पूरा हो गया। अब बीजेपी इस एक साल को स्वर्णिम कार्यकाल बताकर अपनी पीठ थपथपा रही है। लेकिन मोहन सरकार ने गरीबों, किसानों, युवाओं, महिलाओं, दलितों और सभी वर्गों के लोगों के लिए क्या किया है यह विचारणीय है। महिला सुरक्षा, दलित और आदिवासी सुरक्षा के मामले में मध्यप्रदेश का रिकार्ड और भी खराब हो गया है। स्वास्थ्य शिक्षा का हाल यह है कि मध्यप्रदेश की पहचान व्यापमं और नर्सिंग जैसे घोटालों से होने लगी है। समाज की सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था, हर पहलू पर इतनी नाकामी क्यों हासिल हो रही है? इससे बढ़कर चिंता की बात यह है कि मध्य प्रदेश सरकार इन सारे विषयों पर एकदम चुप है। क्या जनता के विकास के ये सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर सरकार की प्राथमिकता से बाहर हो गए हैं? ऐसा लगता है कि मध्यप्रदेश की सरकार ने जमीनी सच्चाई से पूरी तरह पीठ फेर ली है और प्रदेश को उसके हाल पर छोड़ कर, खुद सिर्फ झूठी ब्रांडिंग से अपनी पीठ थपथपाने में व्यस्त हो गई है। हकीकत से मुंह फेर कर मोहन सरकार झूठे प्रचार-प्रसार में मस्त है। जबकि चुनावों के पहले बीजेपी ने बड़े-बड़े

वादे कर जनता को गुमराह करने का काम किया। आज प्रदेश की जनता खुद सरकार से सवाल करना चाहती है कि वादों का क्या हुआ? सरकार कर्ज पर कर्ज लेकर अपनी गाड़ी को चला रही है। और सपने ऐसे दिखाए जा रहे हैं कि प्रदेश ने विकास के कई सोपान गढ़ लिए हैं।

दलितों पर अत्याचार

पिछले एक साल में प्रदेश में दलितों पर काफी अत्याचार हुए हैं। वह चाहे शिवपुरी की घटना हो या सागर की घटना हो। सारे प्रदेश में दलितों पर हो रहे अत्याचारों से यही लगता है कि यह साल दलित अत्याचार पर केन्द्रित रहा है। दलितों का मसीहा बताने में बीजेपी ने भले ही कोई कोर कसर नहीं छोड़ी

हो लेकिन हकीकत में जमीनी स्तर पर दलितों की क्या स्थिति है, यह बताने की जरूरत नहीं है। कोई दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन प्रदेश में दलितों पर अत्याचार की घटना नहीं होती हो। शिवपुरी के इंदरगढ़ में एक दलित युवक की लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। मध्यप्रदेश के सागर जिले के ग्राम बरोदिया नोनागिर में दलित युवती द्वारा छेड़छाड़ की शिकायत से गुस्साए गुंडों ने युवती के भाई नितिन अहिरवार की पिछले वर्ष अगस्त माह में हत्या कर दी थी। हत्या में बीजेपी नेताओं की संलिप्तता सामने आई थी। पीड़ित परिवार समझौते के लिये तैयार नहीं हुआ तो दो दिन पूर्व पीड़िता के चाचा राजेंद्र अहिरवार की भी हत्या कर दी गई। मंदसौर जिले के एक गांव में एक महिला का पीछा करने के आरोप में दलित व्यक्ति को चेहरा काला करके, गले में जूतों की माला डालकर घुमाया गया। इन घटनाओं के बाद एक बार फिर साबित हो गया था कि प्रदेश में दलित वर्ग सुरक्षित नहीं है। यह दोनों घटनाएं तो सिर्फ ऐसी थी जो सुर्खियों में ज्यादा रहीं लेकिन ऐसी न जाने हजारों घटनाएं हैं जो रोज दलितों से साथ घटती रहीं। भाजपा के शासन में दबंगों के हौसले बढ़ रहे हैं और दलित तथा आदिवासियों के अत्याचार छीनना उनकी आदत बन गई है। दुर्भाग्य की बात है मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इस तरह के विषयों पर कुछ भी कहने से बचते रहे और दलितों की सुरक्षा सुनिश्चित कराने में पूरी तरह नाकाम रहे। और दलितों की सुरक्षा सुनिश्चित कराने में पूरी तरह नाकाम रहे हैं।

मध्य प्रदेश में कर्ज दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है। ऐसा कोई महीना नहीं बीतता है जब सरकार कर्ज न ले रही हो। यह सरकार अब कर्ज के भरोसे हो गई है। सरकार पिछले 11 महीनों में 40 हजार 500 करोड़ रुपये का कर्ज ले चुकी है। राज्य यादव सरकार के एक साल पूरे होने के साथ कर्ज का आंकड़ा 52.5 हजार करोड़ तक पहुंचने वाला है।

कर्ज के भरोसे सरकार

मध्य प्रदेश में कर्ज दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है। ऐसा कोई महीना नहीं बीतता है जब सरकार कर्ज न ले रही हो। यह सरकार अब कर्ज के भरोसे हो गई है। सरकार पिछले 11 महीनों में 40 हजार 500 करोड़ रु पये का कर्ज ले चुकी है। राज्य यादव सरकार के एक साल पूरे होने के साथ कर्ज का आंकड़ा 52.5 हजार करोड़ तक पहुंचने वाला है। दिसंबर 2023 से अब तक सरकार ने 47.5 हजार करोड़ का कर्ज लिया है। साल 2024 के अंत तक राज्य पर कुल कर्ज 4 लाख करोड़ से अधिक हो जाएगा। पिछले 6 माह में हर महीने 05-05 हजार करोड़ का कर्ज लिया जा रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 में अब तक 30 हजार करोड़ का कर्ज लिया जा चुका है। 31 मार्च 2025 तक मप्र सरकार का कर्ज 4.21 लाख करोड़ पहुंचेगा। मौजूदा वित्त वर्ष में सरकार अपनी जरूरतों के लिए लगभग 25 हजार करोड़ का अतिरिक्त कर्ज लेगी। पिछले साढ़े चार साल में मप्र सरकार पर कर्ज का बोझ सबसे

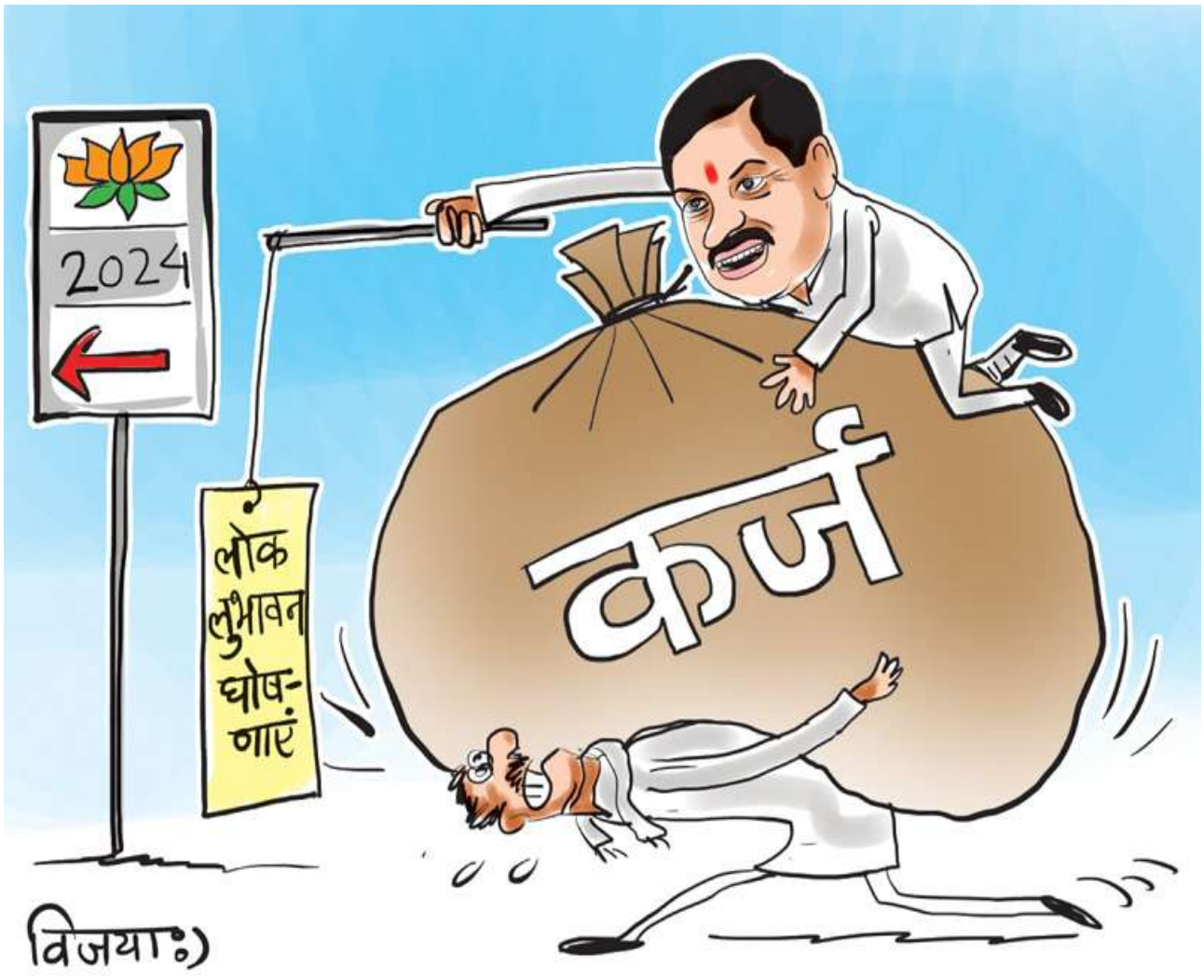

तेजी से बढ़ा है। मार्च 2020 की स्थिति में सरकार पर लगभग 2.01 लाख करोड़ का ही कर्ज था, लेकिन पिछले साढ़े चार साल में यह दोगुना हो गया है। साढ़े चार साल में सरकार अब तक करीब 02 लाख करोड़ का कर्ज ले चुकी है।

वादे पूरे करने में नाकाम मोहन सरकार

सरकार अपने कार्यकाल का 01 साल पूरा होने का जश्न मना रही है। लेकिन अपने वादों को भूल गई है। चुनावों के समय जो वादे किये थे उन पर ध्यान ही नहीं है। लाडली बहनों को 3,000 रु पये की राशि

एक साल के कार्यकाल के जश्न मनाने लायक कोई कार्य मोहन सरकार में नहीं हुआ। चुनावी वादों को भूलकर सिर्फ नई-नई घोषणाएं की जा रही है।

देने का वादा, किसानों को उपज का दाम मिलना, युवाओं को रोजगार देने का वादा, महिलाओं को सुरक्षा देने का वादा, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाने का वादा ऐसे तमाम वादे थे जो एक साल में शुरूही नहीं हुए हैं।

किसान परेशान, जश्न में सरकार

मध्य प्रदेश में खाद की कमी के कारण किसानों की आय पर भी काफी असर पड़ा है। किसानों ने खाद की कमी के कारण अपनी फसल ही नहीं बोई। किसानों को ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पहले साल के कार्यकाल में ऐसे मामले हैं जहां मोहन यादव की सरकार बैकफुट पर

नजर आई।

राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल

13 दिसंबर 2023 को मोहन यादव राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। मोहन यादव के पहले कार्यकाल में मध्य प्रदेश में क्राइम के कई ऐसे मामले आए जिसके राज्य सरकार की किरकिरी हुई। वैसे तो प्रदेश को शांति का टापू कहा जाता है लेकिन प्रदेश में दिनोंदिन बढ़ रहे अपराधों ने मध्यप्रदेश को बदनाम किया है। अपराधों के आंकड़ों में लगातार इजाफा हो रहा है। क्या महिलाएं क्या बच्चियां, कोई सुरक्षित नहीं है। साइबर क्राइम भी सरकार के लिए बड़ी चुनौती है।

नौकरियों की घोषणा पर भर्ती नहीं

राज्य के युवाओं को साधने के लिए मोहन यादव की सरकार ने एक लाख पदों पर भर्ती की घोषणा की थी। दिसंबर महीने से भर्ती शुरू होनी थी लेकिन कई विभाग ऐसे हैं जो यह रिपोर्ट तक नहीं दे पाए हैं कि

पिछले एक साल में मोहन सरकार हर एक क्षेत्र में नाकामयाब रही है। युवा, किसान, शासकीय सेवक सभी परेशान है क्योंकि जो घोषणाएं की थी वह पूरी ही नही हो रही।

उनके विभाग में कितने पद खाली हैं। बीते एक साल से भर्ती नहीं होने पर युवाओं में ओवरएज होने का डर है।

नर्सिंग घोटाला से धूमिल हुई छवि

राज्य में नर्सिंग घोटाले के बाद प्रदेश सरकार की छवि धूमिल हुई है। राज्य में कॉलेजों की संख्या कम की गई है। नर्सिंग घोटाले सामने आने के बाद समय पर परीक्षाएं नहीं हो पाई हैं। पूरे मामले की निगरानी कोर्ट में चल रही है। सरकार ने पूरे मामले में लीपापोती कर हजारों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ की है। राज्य के कई छात्र संगठन भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं।

किसानों की धान खरीदी का वादा पूरा नहीं

छत्तीसगढ़ की तरह मध्य प्रदेश में धान का समर्थन मूल्य 3100 रूपये देने की घोषणा की गई थी। लेकिन राज्य में बीजेपी की सरकार बनने के बाद भी धान का समर्थन मूल्य 3100 रूपये नहीं किया गया। धान अभी भी 2320 रु पये के समर्थन मूल्य पर खरीदी जा रही है। इसके साथ ही किसानों को खाद के लिए के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कई जिलों में खाद की कमी को लेकर किसान सड़कों पर उतर चुके हैं।

(लेखक, मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ नेता हैं)

गूगल ने विलो क्वांटम चिप बनाकर तकनीक के क्षेत्र में किया कमाल

विलो-चिप : क्वांटम कंप्यूटर में क्रांति

प्रमोद भार्गव

गूगल ने वर्ष 2024 के अंतिम माह दिसंबर में विलो नाम की क्वांटम चिप बनाकर तकनीक के क्षेत्र में बड़ा हल्ला मचा दिया है। अत्यंत सूक्ष्म महज 4 वर्ग सेंटीमीटर की यह चिप एक तरफ तो 30 साल से भी ज्यादा पुरानी समस्या का हल खोजने में सक्षम है, वहीं यह चिप 5 मिनट में ऐसे कार्य कर सकती है, जिन्हें करने में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर को भी 10 सेप्टिलियन अर्थात अरबों साल लग सकते हैं। अतएव इससे कृत्रिम बुद्धि, फ्यूजन उर्जा तथा ब्रह्मांड के तारामंडल के गृह-नक्षत्रों को जानने में मदद मिलेगी। मौसम व प्राकृतिक आपदाओं की सटीक भविष्यवाणी करने में सुविधा होगी। तकनीक के क्षेत्र में इस नवीन उपलब्धि की सर्वत्र चर्चा है। एलन मस्क जैसे लोग इस उत्पाद को लेकर अचंभित हैं। इसलिए इसे सुपर ब्रेन की संज्ञा दी जा रही है। विलो चिप व्यावसायिक रूप में क्वांटम कंप्यूटिंग की नई दिशा तय करती हुई मील का पत्थर साबित होगी।

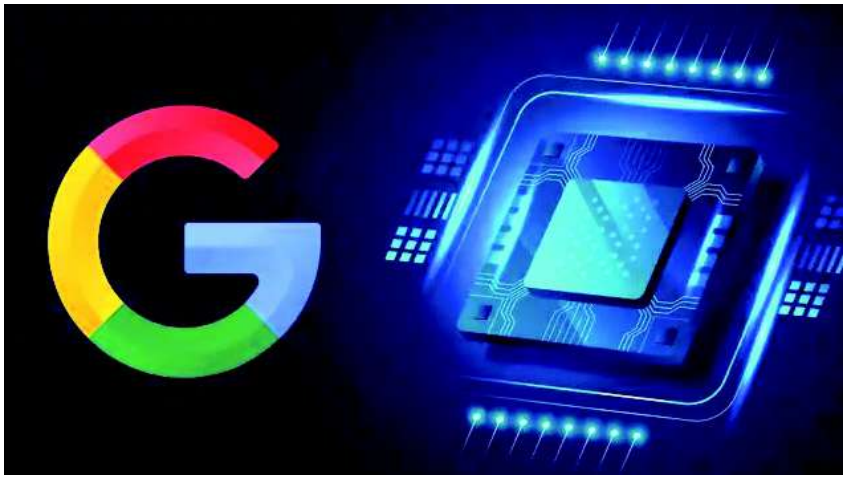

दुनिया में इस समय दिन दूनी, रात चौगुनी गति से प्रगति हो रही है। कुछ समय पहले तक असंभव सी लगने वाली चीजें आज प्रौद्योगिकी की मदद से सरलता से परिणाम तक पहुंच रही हैं। एक समय संगणक के विकास ने प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव किया था। अब कृत्रिम बौद्धिकता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) ने चिकित्सा से लेकर हथियारों के निर्माण तक हर क्षेत्र में कंप्यूटर और रोबोट के प्रयोग को नया आयाम दिया है। पारंपरिक कंप्यूटर की दुनिया में इस प्रगति के समानांतर एक और अनुसंधान चल रहा है, जिसका नाम है 'क्वांटम कंप्यूटिंग' यानी अति-सूक्ष्मता का विज्ञान। भारत ने भी अब इस क्षेत्र में गति लाने का ऐलान कर दिया है। भौतिक-शास्त्र के क्वांटम सिद्धांत पर काम करने वाली इस कंप्युटिंग में असीमित संभावनाएं देखी जा रही हैं। शोध के लिहाज से यह विषय किसी के लिए भी रु चि का विषय हो सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार एक पूर्ण विकसित क्वांटम कंप्यूटर की क्षमता सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा आंकी जा रही है। इस क्वांटम कंप्युटिंग या मैकेनिक्स की खास बात यह है कि इसकी शुरु आत के बाद भारतीय और पश्चिमी वैज्ञानिक यह मान रहे हैं कि भारतीय भाववादी सिद्धांत को जाने बिना अणु या कण में चेतना का आकलन नहीं किया जा सकता। क्वांटम भौतिकी और कृत्रिम बौद्धिकता एक तरह से चेतना के भाववादी सिद्धांत को ही अस्तित्व में लाने के उपाय हैं।

दुनिया में इस समय दिन दूनी, रात चौगुनी गति से प्रगति हो रही है। कुछ समय पहले तक असंभव सी लगने वाली चीजें आज प्रौद्योगिकी की मदद से सरलता से परिणाम तक पहुंच रही हैं।

क्वांटम कंप्युटिंग या यांत्रिकी एक

लैटिन शब्द है। इसका अर्थ अतिसूक्ष्म कण है। इस विषय के अंतर्गत पदार्थ के अति सूक्ष्म कणों का अध्ययन किया जाता है। इनमें परमाणु, न्यूक्लियस एवं इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन सभी मौलिक कणों का अध्ययन शामिल है। इसमें इनके व्यवहार और उपयोगिता का अध्ययन किया जाता है। इस नवीन विषय के अध्ययन की नींव 1890 में वैज्ञानिक मैक्स प्लांक ने डाली थी। हालांकि इस समय तक वैज्ञानिक यह मानकर चल रहे थे कि भौतिकी में जितने नियमों का आविष्कार होना था, लगभग हो चुका है। अब केवल इन नियमों को प्रत्येक जगह क्रियान्वित करना भर शेष है। किंतु कुछ प्रश्न तब भी ऐसे थे, जिनके हल खोजे नहीं जा सके थे। अभी तक काले पिंड (बॉडी) के सतत वर्णक्रम (स्पेक्ट्रम) के भिन्न-भिन्न भागों की उर्जा के वितरण को परिभाषित नहीं किया जा सका था। इसे समझने के लिए प्लांक ने प्रकाश उत्सर्जन करने वाले द्रव्य-कणों की निरंतर चाल के साथ उनमें बिखरी उर्जा को भी समझने का विचार दिया। इससे काले पिंड के वर्णक्रम की व्याख्या सुलझ गई। दरअसल इस सोच के परीक्षण में जो निष्कर्ष आए, उनसे ज्ञात हुआ कि उर्जा का विकिरण लगातार न होकर टुकड़ों-टुकड़ों में होता है। इन टुकड़ों को विकिरण-कण नाम दिया गया। यह विकिरण भी कणों पर नहीं, बल्कि तरंगों के आधार पर चलता है। यह नियम विद्युत चुबंकीय सिद्धांत के विपरित था, क्योंकि अब तक यह माना जाता था कि द्रव्य-कणों की गति में विद्यमान उर्जा निरंतर गतिशील रहती है। यानी क्वांटम सिद्धांत के तहत अणु, परमाणु और इनके भी मूलभूत कण बेहद लघुतम अवस्था में मौजूद रहते हैं। इस खोज पर 1918 में मैक्स प्लांक को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी मिला। 1924 में सत्येंद्रनाथ बोस ने प्लांक के विकिरण नियम को समझाने के लिए एक सर्वथा नवीन विधि सुझाई। उन्होंने प्रकाश की कल्पना द्रव्यमानरहित कणों के एक गैस पिंड के रूप में ली। इसे फोटान गैस के रूप में मान्यता मिली। बाद में इस मान्यता को अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी स्वीकृति दी।

विज्ञान ने पहले परमाणु को ही ऐसा सबसे सूक्ष्मतम कण बतलाया था, जिसने विश्व का निर्माण किया है। फिर आगे की खोज से ज्ञात हुआ कि परमाणु भी विभाजित हो सकता है। यानी उसे और अत्यंत सूक्ष्म-कणों में बांटा जा सकता है। फलतः ये सूक्ष्म-कण, इलेक्ट्रान, प्रोट्रान और न्यूट्रान नाम के लघुतम रूपों में सामने आए। कालांतर में कण मसलन क्वांटम भौतिकी और विकसित रू पों में सामने आई। तब पता चला कि प्रोट्रान और न्यूट्रान को और विभाजित किया जा सकता है। अंततः इसे क्वार्क व लैपटान जैसे सूक्ष्मकणों में विभाजित कर भी लिया गया। इस तरह से कण भौतिकी में एक प्रामाणिक

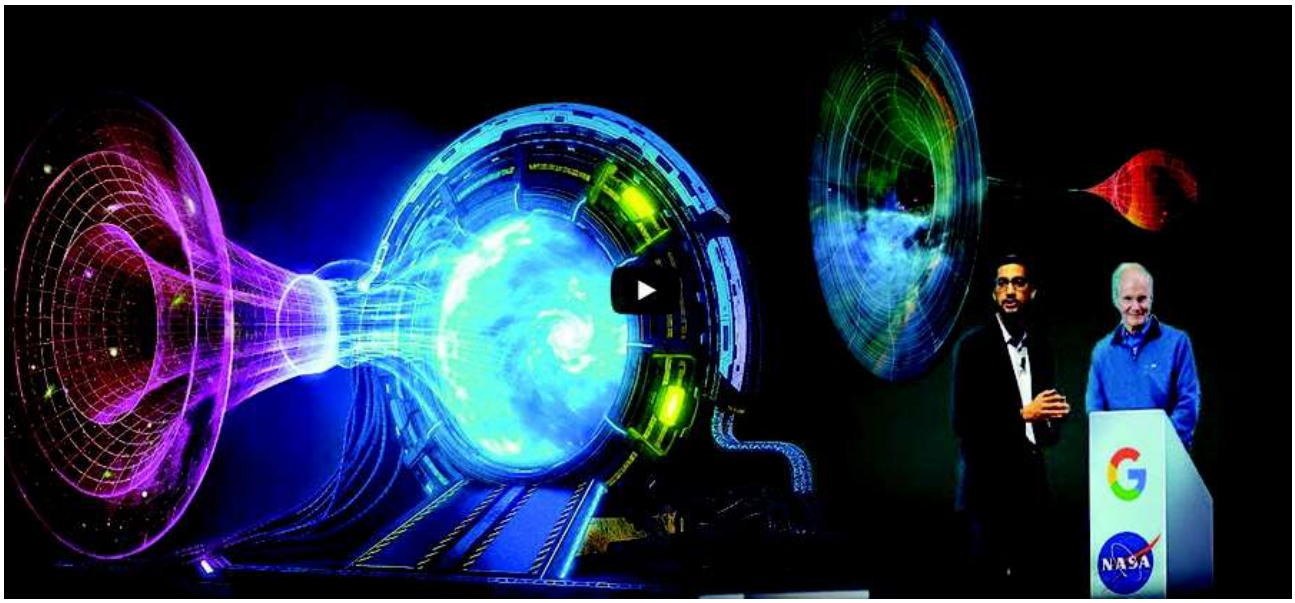

विज्ञान ने पहले परमाणु को ही ऐसा सबसे सूक्ष्मतम कण बतलाया था, जिसने विश्व का निर्माण किया है। फिर आगे की खोज से ज्ञात हुआ कि परमाणु भी विभाजित हो सकता है। यानी उसे और अत्यंत सूक्ष्म-कणों में बांटा जा सकता है।

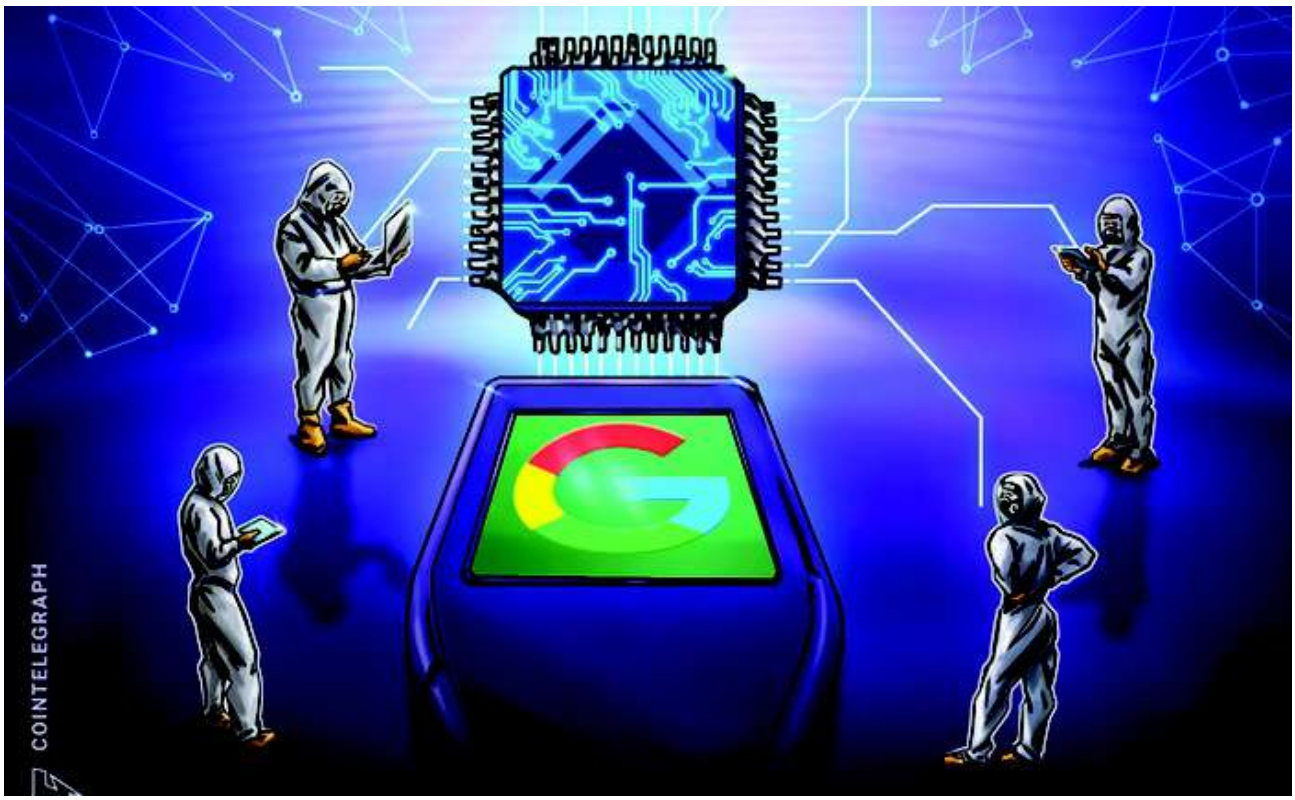

प्रतिदर्श सामने आया, जिसमें क्वार्क व लैप्टन के बारह सूक्ष्मतम कणों के प्रकार दर्ज हैं। इन्हें जरूर अब तक अविभाज्य माना गया है। अब इन्हें ही मूलकण माना जा रहा है। आधुनिक विज्ञान में यह धारणा बन रही है कि पदार्थ से संबंधित अत्यंत कम द्रव्यमान वाले, इन्हीं मूल कणों से सृष्टि के जड़ एवं चेतन स्वरूप अस्तित्व में आए हैं।

कण-यांत्रिकी को कल के कंप्यूटर का भविष्य माना जा रहा है। यह परमाणु और उप परमाणु के स्तर पर उर्जा और पदार्थ की व्याख्या करती है। पारंपरिक कंप्यूटर बिट (अंश) पर काम करते हैं, वहीं क्वांटम कंप्यूटर में प्राथमिक इकाई क्यूबिट यानी कणांश होती है। पारंपरिक कंप्यूटर में प्रत्येक बिट का मूलाधार या मूल्य शून्य और एक (एक) होता है। कंप्यूटर इसी शून्य और एक की भाषा में ही कुंजी-पटल (की-बोर्ड) से दिए निर्देश को ग्रहण करके समझता है और परिणाम को अंजाम देता है। वहीं क्वांटम की विलक्षणता यह होगी कि वह एक साथ ही शून्य और एक दोनों को ग्रहण कर लेगा। यह क्षमता क्यूबिट की वजह से विकसित होगी। परिणामस्वरू प यह दो क्यूबिट में एक साथ चार मूल्य या परिणाम देने में सक्षम हो जाएगा। एक साथ चार परिणाम स्क्रीन पर प्रगट होने की इस अद्वीतीय क्षमता के कारण इसकी गति पारंपरिक कंप्यूटर से कहीं बहुत ज्यादा होगी। इस कारण यह पारंपरिक कंप्युटरों में जो कूट-रचना या गूढ-लेखन कर दिया जाता है, उससे कहीं अधिक मात्रा में यह कंप्युटर डाटा ग्रहण व सुरक्षित रखने में समर्थ होगा। इसीलिए दावा किया जा रहा है कि इसकी मदद से आंकड़ों और सूचनाओं को कम से कम समय में प्रसारित किया जा सकेगा। एआई, जीपीटी चेट और चैटबॉट जैसी तकनीक इसकी सहायता से और तेजी से गतिशील रहेंगी। लेकिन विलो चिप निर्माण कर लिए जाने की घोषणा ने सुपर कंप्यूटर के निर्माताओं को फिलहाल सकते में डाल दिया है। क्योंकि विलो चिप की क्षमताएं ब्रह्मांड व्यास की तरह शक्तिशाली और असीमित बताई गईं हैं।

कण-यांत्रिकी को कल के कंप्यूटर का भविष्य माना जा रहा है। यह परमाणु और उप परमाणु के स्तर पर उर्जा और पदार्थ की व्याख्या करती है। पारंपरिक कंप्यूटर बिट (अंश) पर काम करते हैं, वहीं क्वांटम कंप्यूटर में प्राथमिक इकाई क्यूबिट यानी कणांश होती है।

क्वांटम कंप्यूटर की क्षमता को देखते

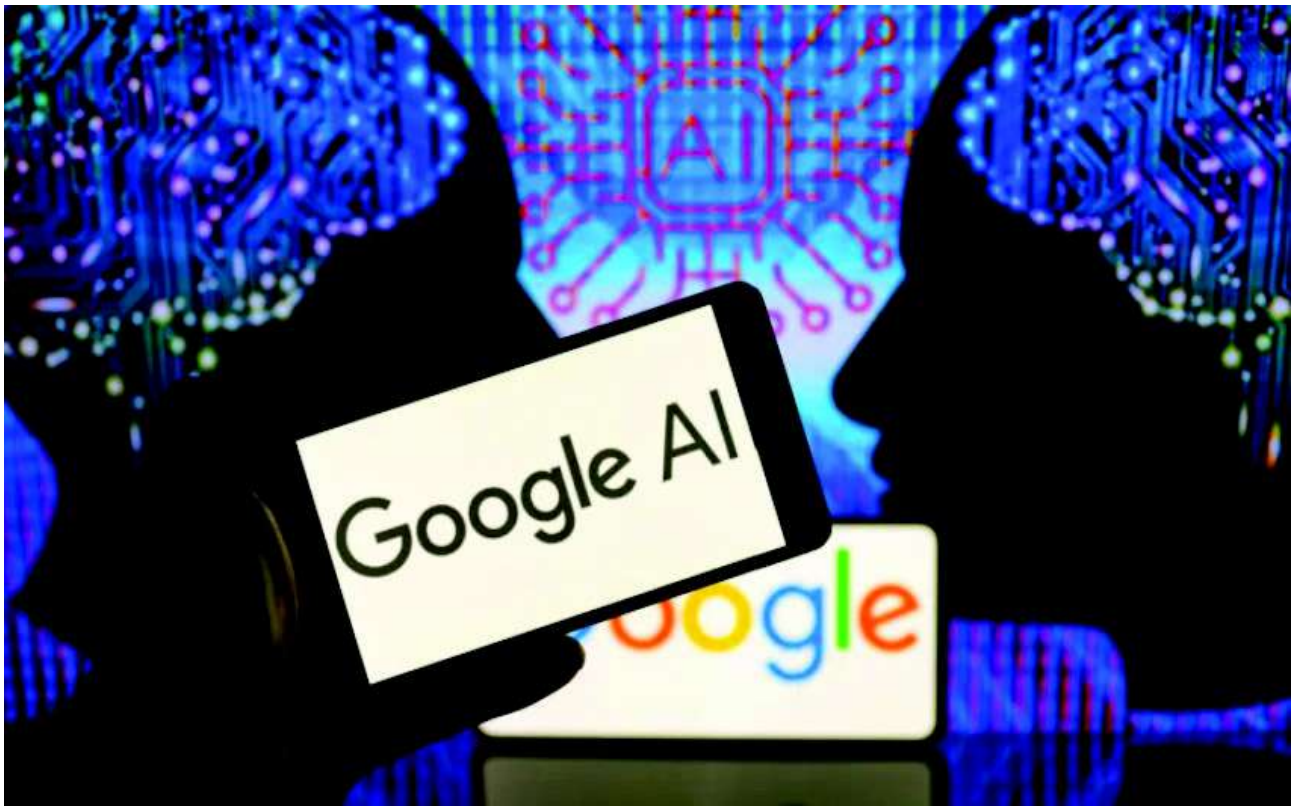

हुए इसके विकास में भारत समेत अनेक देश लगे हैं। यही वजह है कि आविष्कार से पहले इसकी क्षमताओं का मूल्यांकन कर लेने वाले देश इसके अनुसंधान पर बढ़ी धनराशि खर्च कर रहे हैं। चीन ने 15 अरब डालर खर्च करने की घोषणा की है। चीन की ई-कामर्स कंपनी अलीबाबा अलग से इस पर काम कर रही है। यूरोपीय यूनियन ने इस क्षेत्र में करीब 8 अरब डालर खर्च कर रही है। भारत सरकार ने भी इस दिशा में शोध को बढ़ावा देने के लिए क्वांटम सूचना-विज्ञान और प्रौधोगिकी संस्था का गठन तो पहले ही कर लिया था, लेकिन केवल क्वांटम तकनीक पर नवीन शोध और आविष्कार के लिए 2023-24 से 2030-31 तक चलने वाले इस अभियान पर इस 6003.65 करोड़ रु पए खर्च किए जाएंगे। भारत इतनी बड़ी धनराशि पहली बार खर्च कर रहा है।

फिलहाल ऐसा भी माना जा रहा है कि क्वांटम यांत्रिकी का क्षेत्र जितना महत्वपूर्ण है, उस तुलना में इस क्षेत्र में कुशल युवाओं की संख्या बहुत कम है। एक अनुमान के मुताबिक दुनियाभर में एक हजार से भी कम लोग क्वांटम अभियांत्रिकी या भौतिकी में शोधरत हैं। अनेक कंपनियां कल्पनाशील एवं योग्य लोगों की तलाश में है। हैरानी इस पर भी है कि इस क्षेत्र में भविष्य की आपार संभावनाएं होने के बावजूद इस जटिल विषय की ओर युवा आकर्षित नहीं हो रहे हैं। इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि कुशाग्र बुद्धि वाले जो विद्यार्थी कल्पनाशील विचार रखते हैं, उन्हें हतोत्साहित किया जाकर इस मेधा-शक्ति को कंपनियों के पारंपरिक कार्यों में खपाया जा रहा है या सरकारी नौकरियां करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस हश्र का सामना क्वांटम भौतिकी के जनक मैक्स प्लांक को भी करना पड़ा था और गूगल के बिल गेट्स को भी। जब प्लांक दसवीं कक्षा के छात्र थे, तब उन्होंने 15 वर्ष की आयु में इस विषय पर काम करने का विचार अपने गुरू को दिया, तो उनका उत्तर था, 'भौतिकी में अब नए आविष्कारों की संभावनाएं खत्म हो चुकी हैं। इसमें जितना शोध व अनुसंधान होने की संभावनाएं थीं, वे पूरी हो चुकी हैं। अतः इस विचार को छोड़ दो। किंतु यह मैक्स की ही दृढ़ इच्छा-शक्ति थी कि उन्होंने अपने विचार को शोध के रूप में आगे बढ़ाया और क्वांटम भौतिकी को जन्म दिया। अब यही क्वांटम भौतिकी कंप्युटर की क्वांटम यांत्रिकी बन रही है। विलो चिप को इस कंप्यूटर का सुपर ब्रेन माना जा रहा है। यह भी कहा जा रह है कि इस क्षेत्र में जो देश बढ़-चढ़ कर नेतृत्व करेगा, वही दुनिया पर शासन भी करेगा।

पीकेसी नहीं, दशार्ण जल परियोजना नाम दिया जाये

प्रधानमंत्री डॉ. लोहिया के योगदान को स्वीकार करें

रघु ठाकुर

पिछले दिनों जयपुर में प्रधानमंत्री की मौजूदगी में पार्वती, कालीसिंध और चम्बल जोड़ो परियोजना के अनुबंध की सहमति पर मध्यप्रदेश, राजस्थान व केन्द्र के बीच हस्ताक्षर हुए हैं। निस्संदेह यह योजना एक महत्वपूर्ण योजना है जो मध्यप्रदेश, राजस्थान दोनों के लिए उपयोगी होगी। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि 25 दिसम्बर को केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला रखी। बुंदेलखंड अंचल को नदियों के पानी की उपलब्धता के बारे में उपाय करेंगे। मैं प्रधानमंत्री को इन दोनों योजनाओं की शुरु आत के लिए धन्यवाद देता हूं। हालांकि इस अच्छी योजना के इतिहास के बारे में उन्होंने तथ्यों को सिकोड़ने का प्रयास किया है।

एक तो मुझे यह भी आश्चर्यजनक व दुखद लगा कि उन्होंने पार्वती-कालीसिंध व

पार्वती, कालीसिंध और चम्बल जोड़ो परियोजना के अनुबंध की सहमति पर मध्यप्रदेश, राजस्थान व केन्द्र के बीच हस्ताक्षर हुए हैं। निस्संदेह यह योजना एक महत्वपूर्ण योजना है जो मध्यप्रदेश, राजस्थान दोनों के लिए उपयोगी होगी।

चंबल के लिए पीकेसी शब्द का इस्तेमाल किया। यह अंग्रेजी के साम्राज्यवादी मानसिक दास्तां जैसी है। हम लोग भारत में संक्षिप्त नामों के इस्तेमाल के लिए हिन्दी या भारतीय भाषाओं के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। दिल्ली में कस्तूरबा गांधी मार्ग को केजी मार्ग, लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल को एलएनजेपी, राममनोहर लोहिया अस्पताल को आरएमएल जैसे शब्दों का इस्तेमाल आज आजादी के सतहत्तर साल बाद किया जाना हमारी भारतीयता पर क्या प्रश्नचिन्ह नहीं है? मेरी जानकारी में ऐसा कोई उदाहरण अमेरीका या यूरोप में नहीं है जहां पर नाम के

संक्षिप्तीकरण के लिए किसी विदेशी भाषा के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता हो। वैसे तो प्रधानमंत्री, उनकी पार्टी, उनकी मातृसंस्था राष्ट्रभाषा-राष्ट्रीयता और भारतीयता के शाब्दिक गौरव को न केवल बयान करते हैं बल्कि दूसरों को नीचा दिखाने के लिए उसे हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं।

प्रधानमंत्री से मैं जानना चाहूंगा कि पीकेसी के बजाय पार्वती-कालीसिंध-चम्बल नदी इस्तेमाल करते तो क्या बिगड़ जाता? इन नदियों के नाम के पीछे इतिहास-संस्कृति भी है। परंतु प्रधानमंत्री और उनकी जमात का राष्ट्रभाषा और संस्कृति का दावा कितना खोखला है इससे सिद्ध होता है।

दूसरे, उन्होंने नदी-जोड़ योजनाओं का जनक पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई को बताया। यह सही है कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने नदी जोड़ो परियोजना का कुछ काम शुरू किया था। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रति पूरे सम्मान के बावजूद मैं यह तथ्य बताना चाहूँगा कि यद्यपि वह बहुत आगे नहीं बढ़ पाया। यह भी जानना चाहिए कि नदी जोड़ योजना की वैचारिक शुरु आत अटल बिहारी वाजपेई ने नहीं, बल्कि इसकी वैचारिक शुरु आत डॉ. राममनोहर लोहिया ने की थी। उन्होंने संसद में कहा था कि देश की दो बड़ी बीमारियां हैं, बाढ़ और सुखाड़। प्रतिवर्ष देश के बड़े इलाके में सूखा पड़ता है और देश के दूसरे बड़े इलाके में बाढ़ आती है। बाढ़ और सूखा लाखों लोगों को तबाह करता है। डॉ. लोहिया ने संसद में तत्कालीन सरकार से अपील की थी कि नदियों का पानी जो बाढ़ में बर्बाद होता है। उसे सूखे खेतों तक ले जाया जाये जिससे बाढ़-सुखाड़ से मुक्ति मिले। तब के सिंचाई मंत्री राव थे जिन्होंने इस योजना का अध्ययन कराया था। 1964-65 के साल में इस राष्ट्रीय परियोजना पर मात्र तीन सौ करोड़ रुपए की अनुमानित लागत थी। अब कोई भी योजना हजारों लाख करोड़ से कम की नहीं होती। कितना अच्छा होता कि यदि स्व. वाजपेई ने नदी-जोड़ परियोजना की चर्चा करते हुए संसद में डा. लोहिया के मौलिक योगदान का उल्लेख किया होता। परंतु इतिहास के पन्नों से वे भी बचना चाहते थे। उनसे भी शिकायत क्या करें, बड़े नामधारी समाजवादी साथी उस संसद में थे बड़े ओहदों पर, स्व. जार्ज फर्नांडीज उस सरकार में मंत्री थे, मुलायम सिंह संसद में थे, कितने ही समाजवादी पृष्ठभूमि के लोहिया के आन्दोलन से निकले हुए लोग संसद में थे, परंतु किसी ने अपने वैचारिक पिता डॉ. लोहिया की याद नहीं की।

अटलजी की सरकार में जल संसाधन मंत्री सुरेश प्रभु थे जो बाल ठाकरे की शिवसेना कोटे के मंत्री थे। जब अखबारों में इस योजना का विरोध हुआ जो कि वैश्विक स्तर से प्रायोजित था और वैश्विक आर्थिक समर्थन से चलता था, जिन एनजीओ को इसलिए भारत में आर्थिक मदद दी जाती थी कि वे इन बुनियादी योजनाओं का विरोध

करें ताकि भारत की खाद्यान्न आत्मनिर्भरता और पैदावार की वृद्धि दूर खिसक जाये, तब सुरेश प्रभु मुझसे मिले थे। उन्होंने इस पर चर्चा की थी। मैंने उन्हें बताया था यह योजना मूलतरूलोहिया जी की कल्पना थी तब मैंने इस पर काफी कुछ लिखा था, जिसे सुरेश प्रभु ने योजना के संदर्भ में इस्तेमाल किया। हालांकि पिछले तीस-पैंतीस वर्ष में काफी पानी बह चुका है, शायद अंतरराष्ट्रीय वित्तपोषण के अभाव में जिन एनजीओ की आवाज मीडिया में जोर से सुनाई देती थी, अब कुछ कम हुई है। वैश्विक परिदृश्य बदला है। विश्व बैंक के अंतर-समीकरण भी

बदले। मुझे याद है उस समय श्री प्रभु ने यह कहा था कि इस योजना पर बहुत पैसा खर्च होगा, भारत सरकार पर इतना पैसा नहीं होगा। मैंने उन्हें कुछ सुझाव लिख कर दिये थे यथा-

1) इस योजना को राष्ट्रीय लक्ष्य घोषित किया जाये। नदियों को जोड़ने के लिए नहरों का जो जाल बिछाना है उसके लिये दो माह राष्ट्रीय जलयज्ञ माह घोषित हो। नेता, कर्मचारी, छात्र, किसान, मजदूर व सारा देश श्रमदान करें और इस योजना में सहभागी बनें।

2) कुल परियोजना पर जितना खर्च होगा उसे न्यायसंगत ढंग से बांटा जाये। यदि साठ फीसदी खर्च भारत सरकार उठाये तो चालीस फीसदी राज्य सरकार।

3) स्थानीय संस्थाओं, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत को भी इसमें हिस्सेदार बनाया जाये। यह संस्थायें पैसा तो नहीं, परंतु श्रमिक अन्य संसाधन उपलब्ध करा सकती हैं।

4) जिन किसानों की जमीन पर नहर निकाली जायेगी, जो सिंचाई के पानी से लाभान्वित होंगे उन्हें भी हिस्सेदार बनाया जायेगा। अगर वे अपनी जमीन पर नहर खोदते हैं तो उस राशि को मय ब्याज के आगामी जलकर में समाहित किया जायेगा, यह नीति बने।

अगर यह निर्णय सरकार ने किया होता तो लाखों किसान अपनी जमीन पर नहर खोदते, योजना के क्रियान्वयन में सहयोगी बनते।

सुरेश प्रभु बहुत उत्साहित थे परंतु स्वर्गीय बाल ठाकरे की नजरों में वे संदिग्ध हो चुके थे इसलिए उनके राजनीतिक भविष्य का असमय अंत हो गया।

मैं प्रधानमंत्री से अपील करूंगा कि अभी भी वक्त है वे सार्वजनिक रूप से लोहिया जी के वैचारिक योगदान को स्वीकार करें और इतिहास के इस पक्ष को भी प्रदर्शित करें। इससे उनका सम्मान ही बढ़ेगा। आज भी यह उपयुक्तहोगा कि मात्र दो योजनाओं पार्वती-कालीसिंध-चम्बल तथा केन- बेतवा तक ही सीमित न किया जाये बल्कि इसे देश में बाढ़-सूखे से स्थायी मुक्ति के हल के रूप में देखा जाये और देशभर में लागू किया जाये। प्रतिवर्ष उत्तर बिहार की नदियों गंडक, कोसी आदि में बाढ़ आती है और लाखों करोड़ की क्षति होती है, तथा झारखंड से लेकर छत्तीसगढ़ तक सूखे से लाखों किसान तबाह होते हैं और फिर सूखा राहत पर भी लाखों करोड़ खर्च होता है। आजादी के बाद अभी तक अगर बाढ़ व सूखा राहत पर खर्च हुई राशि का आंकड़ा निकलवाया जाये तो शायद भारत के केंद्रीय बजट 30 लाख करोड़ रुपये से कम नहीं होगा और इसके बावजूद भी बाढ़ व सूखा यथावत है।

देश के आमजन, किसान को इस जलयज्ञ में सहभागी बनाया जाये। हालांकि यह कठिन होगा क्योंकि सूखा-बाढ़ देश के भ्रष्टाचार के स्थायी स्रोत हैं। सूखा राहत व बाढ़ राहत पर कई लाख करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं क्योंकि इसका कोई हिसाब किताब नहीं। बाढ़ राहत का पैसा आया वह भ्रष्ट तंत्र, नौकरशाह व नेताओं के पेट में चला गया। यहीं स्थिति सूखे की है। हम लोग तो लगातार यह मांग कर रहे हैं कि बाढ़ और सूखे से राहत नहीं, मुक्तिचाहिए। यह मुक्तिही डॉ. लोहिया को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। पार्वती, कालीसिंध, चंबल, केन, बेतवा आदि नदियों का अंचल मालवा, राजस्थान व बुन्देलखण्ड में जाल फैला है। जयंत तोमर के अनुसार महाकवि कालिदास ने जिस दशार्ण क्षेत्र का उल्लेख किया है वह इसी अंचल से संबंधित है। अच्छा हो कि योजना को पीकेसी के बजाय दशार्ण जल परियोजना कहा जाये। यह भारतीय भी होगा, ऐतिहासिक भी और सांस्कृतिक भी।

बस्तर के लोकगीतों में आज भी जिंदा है गुण्डाधूर

विजया पाठक

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय अंचल में अनेक गुमनाम क्रांतिवीरों में बस्तर के गुण्डाधूर, एक चमत्कारी चरित्र है। इनका जन्म बस्तर के नेतानार ग्राम में हुआ था। धुरवा जाति का यह वीर युवक सन् 1910 के आदिवासी विद्रोह का प्रमुख सूत्रधान था। इस समय अंग्रेजों के कुटिल शासन के प्रति जनरोष बस्तर में भुमकाल के रूप में प्रकट हुआ था।

बस्तर की माटी में एक ऐसा शूरवीर पैदा हुआ जिसने न केवल अंग्रेजों के दांतों तले चना दबाने पर मजबूर किया बल्कि अपनी सूझबूझ और कौशल से बस्तर को आखरी समय तक अंग्रेजी शासन से मुक्त करने की लड़ाई की। ऐसे वीर योद्धा सेनापति गुण्डाधूर को छत्तीसगढ़ में महान क्रांतिकारियों के रूप में पहचाना जाता है। अपने नेतृत्व में बनाई सेना ने अंग्रेजी शासन के विरूद्ध लड़ाई में गुण्डाधूर न कभी झुके और न ही अपने अभियान से विमुख हुए।

सन् 1910 के विद्रोह में धूमकेतू की भांति जो व्यक्ति उभरकर आया उसका ही नाम था गुण्डाधूर। वह धुर्वा जनजाति का वीर माटीपुत्र था। बस्तर के वनवासी उसे आज भी चमत्कारी वीर पुरुष के रूप में पूजते थे। गुण्डाधूर पर अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। लोक गीतों का वह महानायक है। समाज या तो संतों को याद रखता है या क्रांति पुरुषों को। त्याग और बलिदान के बलबूते पर ही कोई समाज या देश टिका रह सकता है। बस्तर में गुण्डाधूर उसी त्याग और बलिदान का प्रतीक है।

प्रधान सेनापति की जिम्मेदारी और गरिमा से सुसज्जित गुण्डाधूर क्रांति की मशाल लेकर मैराथन दौड़ में निकल पड़ा। ब्रिटिश शासन से बस्तर को मुक्त करो का भूत उसके सिर पर सवार था। उसके पैरों में पंख निकल आये थे। रात दिन वह क्रांति के लिये सैन्य संगठन के कार्य में संलग्न था। हजारों की संख्या में युवक उसके पीछे

हो लिये। जरुरत पड़ने पर वह धमकी से भी काम लेता था। ब्रिटिश अत्याचारों से बदला लेने का संकल्प तो प्रत्येक वनवासी के मन में था। वे तो सिर्फ एक ओजस्वी नेता और उचित अवसर की ताक में थे।

जगदलपुर नगर विद्रोहियों के नियंत्रण में था। उसके चारों ओर विद्रोहियों ने घेरा डाल रखा था। यह मोर्चा भी गुण्डाधूर की जिम्मेदारी पर था। अंग्रेज अधिकारियों की सहायता के लिये सी.सी. सशस्त्र पुलिस के दो सौ जवान, मद्रास पुलिस के 150 सशस्त्र जवान तथा पंजाबी टुकड़ी के सत्तर सैनिक पहुंच गये। पुलिस अधीक्षक के. रैण्डल बटालियन के साथ उपस्थित था। केण्डल ने वनवासी विद्रोहियों को समझौता वार्ता के बहाने उलझाये रखा और आश्वासन देता रहा कि उनकी सभी शिकायतें दूर कर दी जायेंगी। वनवासी उसके झांसे में आ गये। जब विद्रोही गंगामुड़ा की टेकड़ी पर विश्राम कर रहे थे, तो रात्रि में अचानक अंग्रेजी फौज ने उन्हें घेर लिया और हथियार समर्पण के लिए बाध्य कर दिया। इस असावधानी का फल उन्हें पराजय से भोगना पड़ा। आदिवासी नायक गुण्डाधूर और अंग्रेजी सेना के मध्य भयंकर युद्ध हुआ। अनेक क्रांतिकारी शहीद हो गये। गुण्डाधूर ने किसी प्रकार इस युद्ध में बच निकलने में सफलता प्राप्त की। 1 फरवरी 1910 को समूचे बस्तर में विद्रोह का भूचाल आ गया। आपके नेतृत्व में अंग्रेजी शासन को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए शासकीय संस्थाओं तथा संपत्तियों को निशाना बनाया गया। मूरतसिंह बख्शी, बालाप्रसाद नाजिर, वीरसिंह बंदार और लाल कालिन्द्री सिंह के सहयोग से विद्रोह का कुशल संचालन किया। विद्रोह का संदेश गाँव-गाँव तक पहुंचाने के लिए लाल मिर्ची तथा आम की टहनी का उपयोग किया गया। विद्रोह में सबसे पहले अंग्रेजों के संचार-तंत्र को नष्ट कर अंग्रेज समर्थक कर्मचारियों को भयाक्रांत किया गया। तब

जगदलपुर नगर विद्रोहियों के नियंत्रण में था। उसके चारों ओर विद्रोहियों ने घेरा डाल रखा था। यह मोर्चा भी गुण्डाधूर की जिम्मेदारी पर था। अंग्रेज अधिकारियों की सहायता के लिये सी.सी. सशस्त्र पुलिस के दो सौ जवान, मद्रास पुलिस के 150 सशस्त्र जवान तथा पंजाबी टुकड़ी के सत्तर सैनिक पहुंच गये। पुलिस अधीक्षक के. रैण्डल बटालियन के साथ उपस्थित था। केण्डल ने वनवासी विद्रोहियों को समझौता वार्ता के बहाने उलझाये रखा और आश्वासन देता रहा कि उनकी सभी शिकायतें दूर कर दी जायेंगी। वनवासी उसके झांसे में आ गये। जब विद्रोही गंगामुड़ा की टेकड़ी पर विश्राम कर रहे थे, तो रात्रि में अचानक अंग्रेजी फौज ने उन्हें घेर लिया और हथियार समर्पण के लिए बाध्य कर दिया।

रायपुर से मेजर गेयर और डी ब्रेट को बस्तर जाना पड़ा। अंग्रेजों के क्रूरतापूर्वक ग्रामों को जलाने के साथ-साथ अनेक निरपराध लोगों को फांसी पर लटकाया। मई 1910 तक यह विद्रोह कुचल दिया गया।

बस्तर के लोकगीतों में गुण्डाधूर आज भी जीवित है। इतिहास गवाह है, शहीद कभी करते नहीं, वे अमर होते हैं।

उन्होंने पुनः अपने सहयोगियों को एकत्रित कर ग्राम अलनार में अंग्रेजों से मुकाबला किया लेकिन इस बार एक विश्वासघाती ने इनकी जानकारी अंग्रेजों को दे दी। इन्हें चारों ओर से घेर लिया गया, किन्तु सैनिकों की बंदूकों का सामना करते हुये वह बच निकले। अंग्रेजों ने बस्तर का चप्पा-चप्पा छान मारा, लेकिन गुण्डाधूर अंत तक पकड़ में नहीं आए।

बस्तर आदिवासियों का महा विद्रोह : भुमकार 1910

बस्तर के आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ 10 बार संघर्ष छेड़े किन्तु वे कुछ विशिष्ट कारणों से सफल नहीं हो सके। अंतिम संघर्ष जो भुमकाल के नाम प्रसिद्ध है। इसका अपना महत्व है। पहली बार योजनाबद्ध रूप से संगठित हुए।

भुमकाल विद्रोह की चिंगारी तो 1876 से ही लग चुकी थी। भुमकाल विद्रोह 1857 की महाक्रांति के 47 वर्ष बाद हुआ फिर भी स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में आदिवासियों के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। यह बात अलग है कि स्वतंत्रता आन्दोलन का अंग्रेजी पोथियों में इसका उल्लेख बहुत कम हुआ है।

भुमकाल विद्रोह मूल रूप से व्यवस्था के खिलाफ था। रियासत की पुलिस अधिकारी आदिवासियों पर मनमाना अत्याचार करते थे। बेगार तो वे लेते ही थे साथ ही खड़ी फसल पर भी अपना अधिकार मांगते थे। इस आंदोलन के कारणों में वनों को रिजर्व फारेस्ट घोषित कर लकड़ी काटने पर प्रतिबंध लगाने, वनों

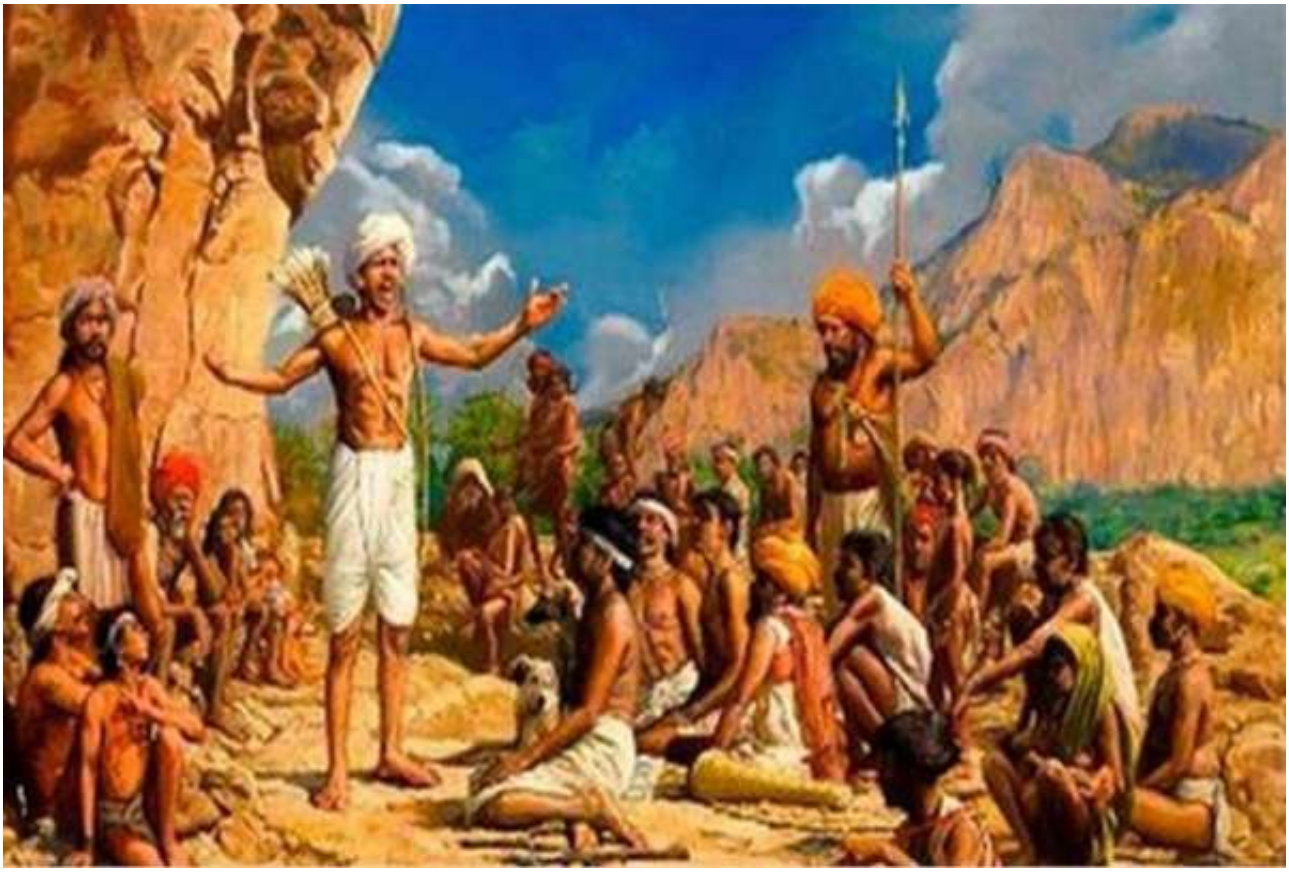

पर आधारित उनकी आजीविका पर तरह-तरह की रोक, आबकार अधिनियम (1908) के लागू करने, औपनिवेशिक विस्तार के तरह खुले अन्य संगठनों तथा उनकी सांस्कृतिक धरोहर पर कुठाराघात करने को प्रमुख है। आदिवासियों ने इन सब कारणों के खिलाफ आवाज उठाई।

भुमकाल विद्रोह में बस्तर की सभी जनजातियां तथा अन्य जातियां शामिल थी। लम्बे समय तक भीतर ही भीतर आग सुलगती रही। राज परिवार के लाल साहब कालीद्र सिंह भी विद्रोहियों के साथ थे। आदिवासियों में एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी विचार कोंधा था।

22 अक्टूबर 1909 को जगदलपुर में बैठक हुई, बैठक दशहरा उत्सव पर हुई थी। इसमें लाल साहब कालीन्द्र सिंह के अतिरिक्त भारी संख्या में आदिवासी इकट्ठे हुए थे। इसी बैठक में विद्रोह की कमान गुण्डाधुर को सौंपी गई।

विद्रोहियों की योजना इस प्रकार थी-

- अचानक धावा बोलकर साम्राज्यवादी शासकों को धर पकड़ा जाये।
- टेलीफोन व तार लाइनों को ध्वस्त कर दिया जावे और डाकघरों और डाक पेटियों को नष्ट कर दिया जाये ताकि बस्तर का शेष विश्व से संबंध विच्छेद हो जाये।
- सड़क मार्ग पर बाधाएं खड़ी कर दी जाये ताकि, सड़क मार्ग से सहायता के लिए फौज व रसद नहीं पहुँच सके।
- अधिक से अधिक सरकारी अफसरों को या तो बंधक बना लिया जाये अथवा मार डाला जाये।

क्रांति का संदेश गाँव-गाँव तक पहुंचाने के लिए सांकेतिक तरीकों का उपयोग किया गया। हर गाँव में आम की टहनी, लाल मिर्च तथा धनुषबाण पहुंचाया गया। अंग्रेजों को इसकी भनक लग चुकी थी। इसी समय पोलिटिकल एजेंट डी ब्रेट ने पण्डा दीवान बैजनाथ और राजगुरू मित्रनाथ ठाकुर के साथ इस क्षेत्र का दौरा भी किया। आदिवासियों ने मिर्च बांटने की बात इतनी गोपनीय रखी कि ये बड़े अधिकारी इसे समझ नहीं सके। ब्रेट तो निश्चिंत होकर चांदा चला गया। इधर दीवान भी बीजापुर चला गया।

विद्रोह का अवसान

बारसूर और कुटरू पर आदिवासियों का अधिकार हो चुका था। अब आदिवासी विद्रोही बड़े नगरों को हथियाना चाहते थे।

आदिवासियों के लिए दंतेश्वरी माई सम्पूर्ण जीवन का आधार है। यदि दंतेवाड़ा पर उनका अधिकार हो जाता है तब उनकी क्रांति में कोई संदेह नहीं। बस्तर का राजा दंतेश्वरी माँ का पुजारी भी था। विद्रोहियों ने दंतेवाड़ा को चारों ओर अपना घेरा डाल दिया। ठीक इसी समय दंतेश्वरी मंदिर के व्यवस्थापक ने इस घेरे को विफल कर दिया। दंतेवाड़ा में विद्रोहियों की यह पहली हार थी।

बस्तर में अंग्रेजों की फौजें पहुँच रही थी। आदिवासियों ने और अधिक उत्साह से विद्रोह किया। डूरी के साथ ही गायर के नेतृत्व में अंग्रेजी फौजों ने तबाही मचा दी। गायर के साथ पंजाबी पल्टन भी थी। गायर इतना क्रोधित था कि उसे पंजाबी सिपाहियों से खुले आम गांवों को लूटने, प्रतिशोध लेने और सबक सिखाने का हुक्म दिया। बर्बर प्रतिशोध का परिणाम यह हुआ कि गाँव के गाँव निर्जन हो गये। सैकड़ों पहाड़ी माड़ियों का ए.एस.पी. था, ने विद्रोहियों पर धावा बोला पर असफल रहा। इसी बीच मुकुन्द देव ने केसकाल से घेरा उठाकर अन्य स्थानों तथा सरकारी सम्पत्ति को अपना निशाना बनाया।

दूसरी ओर गायर भी जगदलपुर के निकट पहुँच गया। पोलिटिकल एजेन्ट डीब्रेट ने मद्रास से भी सेना बुलवाई। ब्रेट और गायर ने कोंडागाँव में विद्रोहियों पर विजय प्राप्त की।

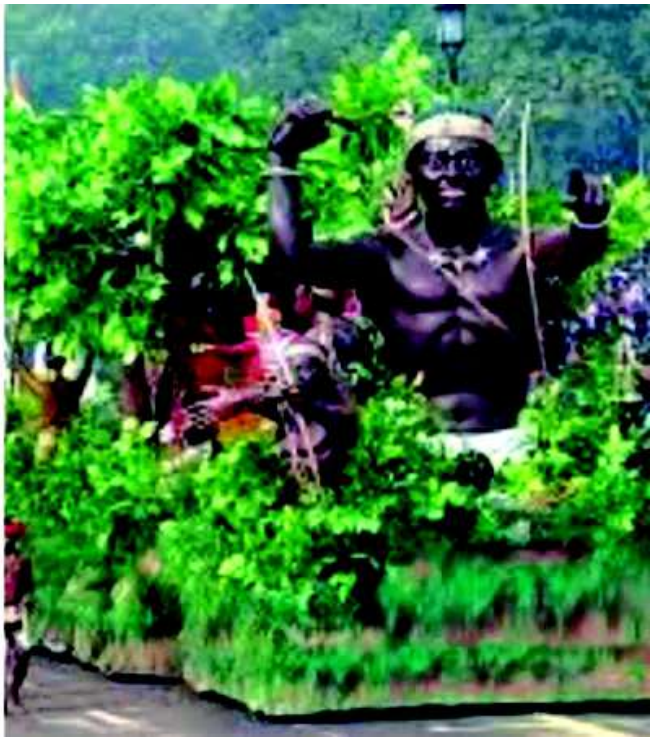

दंतेवाड़ा के घेरे के बाद अंग्रेजों की सहायता भी पहुंचने लगी थी। 12 मार्च को अंततः सरकारी फौज छोटे डोंगर पहुंची। इस क्षेत्र में आदिवासी आयतु के नेतृत्व में अपना दबाव बनाये हुए थे। डूरी ने डटकर मुकाबला किया लेकिन डूरी के नेतृत्व वाली टुकड़ी के पास बन्दूकें थी और आदिवासियों के पास सिर्फ तलवारें, बंदूकों की गोलियों की बौछार में लगभग 100 विद्रोही मारे गये।

को इन दो गोरे अधिकारियों ने अपनी बन्दूक का निशाना बनाया। तथाकथित मानवतावादी सभ्यता के ठेकेदारों ने अर्द्धनग्न और विपन्न वनवासियों को बन्दूक की नोंक पर इस कदर बर्बर सबक सिखाया कि अबूझमाड़ के घाव आज तक नहीं भरे।

इधर रायपुर से अंग्रेजी दस्ते जगदलपुर पहुँच रहे थे। कैशकाल की घाटी में मुकुन्द देव माचमार तथा भागी के नेतृत्व में विद्रोही आदिवासी जमा थे। डयूक जो केशकाल

कोंडागाँव विजय के बाद अंग्रेजों ने बाकी विद्रोहियों का सफाया करने के लिए और अधिक फौज बुला ली। अब जगदलपुर की सुरक्षा करना था। गायर आगे बढ़ा उसे इन्द्रावती नदी पार करनी थी। 16 फरवरी को वह इन्द्रावती पारकर आगे बढ़े, इन्द्रावती के इसी तट पर विद्रोहियों से जबरदस्त झड़प हुई। अनेक आदिवासी वीर मातृभूमि पर अपने शीश अर्पण कर रहे थे। इसी युद्ध में आदिवासी

अमर सेनानी तथा विद्रोह का प्रणेता गुण्डाधूर घायल हो गया। गुण्डाधूर फिर भी अंग्रेजों के हाथ नहीं आया। दूसरी ओर अंग्रेजी फौजों के दस्ते जगदलपुर पहुंचने लगे थे।

गुण्डाधूर के घायल होने के फलस्वरूप विद्रोही कुछ शांत हो गये थे। इसी बीच अंग्रेजों को एक देशद्रोही के माध्यम से पता चता कि गुण्डाधूर उलनार पहाड़ी में छिपा है। अंग्रेजों ने वहाँ कड़ी दबिश दी। भारी भरकम फौजें वहाँ थी। काफी संघर्ष हुआ। आदिवासी तत्काल संघर्ष के लिए तैयार नहीं थे। अंग्रेजी फौज के आगे विद्रोही हार गये। इसके बावजूद गुण्डाधूर अंग्रेजों की पकड़ से बाहर था। उलनार के इस निर्णायक युद्ध में गायर की हार निश्चित थी। एक गद्दार सोनू मांझी ने धोखा देकर आदिवासियों को अपने घर आमंत्रित किया। यहाँ उसने आदिवासियों को इतनी शराब पिलाई कि उन्हें अपनी उपस्थिति का जरा भी ध्यान नहीं रहा। इसके बाद कायर क्रूरता का दौर चला। अंग्रेज फौजियों ने आदिवासियों पर हमला कर दिया। हजारों आदिवासी या तो गोलियों से भून दिये गये या उन्हें बन्दूक के कुन्दों से मार डाला गया।

विशेष बात यह है कि इस आदिवासी विद्रोह का विस्तृत विवरण तत्कालीन दस्तावेजों से नहीं मिलता। इसके बावजूद गुण्डाधूर की इस क्रांति को आदिवासियों ने अपने लोक संगीत में स्थान दे दिया। इन्हीं लोकगीतों से तत्कालीन परिस्थितियों का खुलासा होता है।

29 मार्च की घटना के बाद अंग्रेजों ने प्रतिशोध लेना शुरू किया। अंग्रेज चाहते थे कि गुण्डाधूर किसी तरह पकड़ में आ जावे। निरपराध लोगों को पकड़ना शुरू किया। गायर ने बस्तर में तबाही मचा दी। सरकारी अधिकारियों को भी उसने सहयोग दिया। लूट और बलात्कार का ताण्डव हो रहा था। अंग्रेज अधिकारियों ने बस्तर के चप्पे-चप्पे पर प्रतिशोध के लिए अत्याचार आरंभ कर दिया।

डिब्रेट ने अंग्रेज अधिकारियों को अलग-अलग कार्य सौंपे। खास विद्रोही धुर्वा आदिवासियों को दबाने का काम रेण्डल को सौंपा गया। गायर अपने क्षेत्र में पहले ही कायम था। आदिवासी बिखर चुके थे पर जहाँ भी वे थे, उनमें अभी भी सामना करने की ऊर्जा बाकी थी।

एक अधिकारी मिडिलटन स्टीवार्ड ने दण्डामी माडिया या आदिवासियों को सबक सिखाना चाहा। कुकनार में दोनों का सामना हुआ। हालांकि आदिवासी हार गये किन्तु स्टीवार्ड को भारी क्षति उठानी पड़ी। उसने कुकनार में भीषण नरमेध किया। छोटे डोंगर में डूरी ने ताण्डव मचा रखा था, तो दूसरी और ड्यूक सुकमा क्षेत्र में तबाही मचा रहा था।

अंग्रेजों ने विद्रोही आदिवासियों को गिरफ्तार कर रायपुर तथा जगदलपुर की जेल भेजा गया। यहाँ उन पर मुकदमा चलाया गया।

डिंडा उर्फ हिड़मा पेंडा, डोंडा पेड़ा, मुकुन्ददेव माघमारा, मूरतसिंह, रोटा पेडा को आजन्म कारावास दिया गया। सुकुपुत्र रामनाथ पनका को 11 वर्ष की कैद दी गई। 29 लोगों को 8 वर्ष की सजा दी गई तथा 45 लोगों को एक वर्ष की सजा दी गई।

भूमकाल विद्रोह के पराभव के बावजूद आदिवासी हिम्मत नहीं हारे। गुण्डाधूर को पकड़ने का अंग्रेजी सपना अंत तक सपना ही बना रहा। 1947 में अंग्रेजी राज का पराभव हो गया। गुण्डाधूर आज बस्तर के लोक गीतों में जीवित है।

कश्मीर : इतिहास का तोड़ना-मरोड़ना शांति की राह में बाधक

राम पुनियानी

देश पर नोटबंदी लादते समय कहा गया था कि इससे कश्मीर में आतंकवाद पर रोक लगेगी। नोटबंदी से जनता को भले ही कितनी ही परेशानियां हुई हों इससे आतंकवादियों को कोई तकलीफ हुई है, ऐसा नहीं लगता। अपने दावों के खोखला सिद्ध होने के बाद भाजपा ने फिर एक बार नेहरू को दोषी ठहराने की अपनी नीति का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। केन्द्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि कश्मीर के हालात के लिए नेहरू की गलतियां जिम्मेदार हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फरमाया कि अनुच्छेद 370 सारी समस्याओं की जड़ है। इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं हो सकता। इतिहास को तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत करने के लिए कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने रिजिजू को डिस्टारशियन बताया। रिजिजू के अनुसार यह कहना गलत है कि कश्मीर के महाराज भारत से विलय के मामले में असमंजस में थे या ना-नुकुर कर रहे थे। उनका कहना है कि हरिसिंह तो भारत का हिस्सा बनने के लिए तत्पर थे समस्या तो नेहरूने खड़ी की। सच यह है कि भारत के स्वाधीन होते समय राजे-रजवाड़ों को यह स्वतंत्रता दी गई थी कि वे या तो भारत में शामिल हो जाएं या पाकिस्तान में या अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें। कश्मीर के शासक महाराजा हरिसिंह ने स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया। भारत का हिस्सा न बनने के उाके निर्णय को तत्कालीन प्रजा परिषद का समर्थन प्राप्त था। इसी प्रजा परिषद के सदस्य आगे चलकर भारतीय जनसंघ का हिस्सा बने और यही जनसंघ वर्तमान भाजपा का पूर्व अवतार है। कश्मीर के शासक अपने विशेषाधिकार नहीं खोना चाहते थे और इसलिए उन्होंने भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ स्टेंडस्टिल एग्रीमेंट करने का प्रस्ताव किया था। पाकिस्तान ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और इसलिए स्वाधीनता के बाद कश्मीर के डाकखानों और अन्य सरकारी इमारतों पर पाकिस्तान का झंडा फहराया गया। भारत ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया।

बाद में पाकिस्तानी सेना के समर्थन से कुछ आदिवासी और पठान समूहों ने कश्मीर पर हमला कर दिया। बहाना यह बनाया गया कि चूंकि जम्मू में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की जा रही थी इसलिए उाका बदला लिया जाना जरूरी था। जम्मू में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा स्वयं महाराजा द्वारा पोषित थी क्योंकि वे चाहते थे कि जम्मू-कश्मीर के कम से कम एक हिस्से में हिन्दुओं का बहुमत रहे। इस पाक समर्थित हमले के कारण हरिसिंह को भारत से सैन्य मदद मांगनी पड़ी. भारत ने यह शर्त रखी कि वह अपनी सेना तभी भेजेगा जब महाराजा हरिसिंह भारत सरकार के साथ विलय की संधि पर हस्ताक्षर करें, जिसमें रक्षा, संचार, मुद्रा और विदेशी मामलों को छोडकर, सभी शक्तियां राज्य की विधानसभा में निहित हों।

जहां तक अनुच्छेद 370 का प्रश्न है, इसे हरिसिंह के जोर देने पर लागू किया गया क्योंकि वे जम्मू एवं कश्मीर के लिए एक विशेष दर्जा चाहते थे। कश्मीर सरकार और

नेशनल कांफ्रेंस दोनों ने हम पर यह दबाव डाला कि हम इस विलय को स्वीकार कर लें और हवाई रास्ते से सेना कश्मीर भेजें। परंतु उसकी यह शर्त भी थी कि कश्मीर के लोग शांति और व्यवस्था पुनर्स्थापित होने के बाद इस विलय पर विचार करेंगे। जहां तक युद्धविराम और मामले को संयुक्तराष्ट्र संघ के समक्ष ले जाने का प्रश्न है, ये दोनों निर्णय भारत सरकार द्वारा सामूहिक रूप से लिए गए थे ना कि अकेले जवाहरलाल नेहरू द्वारा सरदार पटेल ने 23 फरवरी 1950 को नेहरूको लिखे अपने एक पत्र में कहा था, जहां तक पाकिस्तान द्वारा उठाए गए कुछ मुद्दों का प्रश्न है, जैसा कि आप कह चुके हैं, कश्मीर का प्रश्न अब सुरक्षा परिषद के सामने है. भारत और पाकिस्तान दोनों संयुक्त राष्ट्रसंघ के सदस्य हैं और सदस्यों के बीच के विवादों को सुलझाने के लिए वहां जो मंच उालब्ध है उो दोनों ने चुन लिया है। इसलिए अब इस मामले में आगे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है सिवा इसके कि हम उा मंच द्वारा मुद्दों के निराकरण का इंतजार करें।

दरअसल समस्या यह थी कि साम्प्रदायिक ताकतें जम्मू-कश्मीर का भारत में तुरंत और जबरिया विलय चाहती थीं। नेहरू जबरदस्ती की बजाए कश्मीर के लोगों के दिल जीतने के हामी थे। सरदार पटेल भी ठीक यही चाहते थे। वे आगे लिखते हैं, कुछ लोग मानते हैं कि मुस्लिम बहुल इलाके आवश्यक रूप से पाकिस्तान का भाग होने चाहिए। वे चकित हैं कि हम कश्मीर में क्यों हैं। इसका उत्तर बहुत सीधा-सादा और स्पष्ट है। हम कश्मीर में इसलिए हैं क्योंकि कश्मीर के लोग चाहते हैं कि हम वहां हों। ज्यों ही ऐसा महसूस होगा कि कश्मीर के लोग नहीं चाहते कि हम वहां रहें, हम उसके बाद एक मिनट भी वहां नहीं रूकेंगे...परंतु जब तक हम वहां हैं तब तक हम कश्मीर के लोगों को निराश नहीं कर सकते।

आगे जो हुआ वह ठीक इसके उलट था। धीरे-धीरे कश्मीर की स्वायत्ता में कटौती की जाने लगी। इससे कश्मीरी लोगों में अलगाव का भाव बढ़ा और असंतोष भी। विरोध शुरू हुआ और धीरे-धीरे बढ़ता गया। शुरूआत में इस विरोध का स्वरूप साम्प्रदायिक नहीं था। पाकिस्तान के हस्तक्षेप और असंतुष्टों को पाकिस्तान द्वारा प्रशिक्षित किए जाने के बाद हिंसा शुरू हुई। सन् 1980 के दशक में अलकायदा जैसे तत्व घाटी में घुस आए और उहोंने कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। कश्मीर में आतंकी हिंसा के लिए अनुच्छेद 370 जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए जिम्मेदार है कश्मीर की स्वायत्ता में निरंती कमी। आतंकी हिंसा की योजना बाहरी तत्वों ने बनाई और इसमें अमरीका द्वारा समर्थित कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन शामिल थे। इन्हें अमरीका में तैयार किए गए पाठ्यक्रम के आधार पर पाकिस्तानी मदरसों में प्रशिक्षित किया गया था। योगी आदित्यनाथ को यह समझना चाहिए कि अगर हिंसा का कारण अनुच्छेद 370 होता तो तीन साल पहले उाको हटाए जाने के बाद से कश्मीर में हिंसा समाप्त हो गई होती। अगर अनुच्छेद 370 ही सभी समस्याओं की जड़ होता तो उाके हटने के बाद कश्मीरी पंडित स्वयं को पूरी तरह सुरक्षित महसूस करने लगते। परंतु न तो आतंकी हिंसा खत्म हुई है और ना ही कश्मीरी पंडित चैन की बंसी बजा रहे हैं। इसका कारण यह है कि कश्मीर की समस्या की जड़ में वहां के निवासियों में अलगाव का भाव और लोगों के प्रजातांत्रिक हकों का दमन है। रिजिजू कश्मीर समस्या के लिए केवल नेहरूको जिम्मेदार बताकर पल्ला नहीं झाड़ सकते। महाराजा हरिसिंह अपने राज्य को भारत का हिस्सा नहीं बनाना चाहते थे। उन्हें अनेक तत्वों का समर्थन प्राप्त था और उा समय वहां भारत समर्थकों को अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता था। भाजपा नेता कश्मीर की स्थिति के लिए नेहरू और अनुच्छेद 370 को जिम्मेदार ठहराकर समाज को ध्रुवीकृत करने का प्रयास कर रहे हैं। वे जानबूझकर तत्समय की अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को नजरअंदाज कर रहे हैं। पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान तक फैले आतंकी नेटवर्क और अमरीका द्वारा अतिवादी इस्लामवादी समूहों का समर्थन भी इस स्थिति के लिए जिम्मेदार है। आज हमें कश्मीर के हालात को बिना पूर्वाग्रह और बिना किसी को कठघरे में खड़ा करते हुए समझना होगा। अपनी गलती छुपाने के लिए दूसरों पर आरोप लगाने की प्रवृति अच्छी नहीं है।

Delhi Assembly Elections 2025

Three parties in contention eyeing Dalit votes

Saiyed Zegham Murtaza

Delhi is going to witness an interesting electoral bout in the upcoming assembly elections. The Aam Aadmi Party (AAP), which has been in power for more than 10 years, is facing anti-incumbency for the first time. The Congress, which has been out of power for the same period, wants to mobilize this sentiment in its favour. The Bharatiya Janata Party (BJP) is hopeful that the battle between the Congress and the AAP will contribute to its improved performance. But all the three are eyeing Dalit votes.

At stake is not power that forming the Delhi government brings with it. In fact, the Delhi Government is weaker than even a municipal body. Given the kind of controversies over division of powers between the Union and the Delhi governments that have raged over the past several years, it seems that the Delhi

government is run by the lieutenant governor (LG). Even the courts have failed to fully resolve the disputes between the elected government and the LG, who is a Union Government appointee. The elected government of Delhi has steadily lost its powers. Besides the police, bureaucrats of many departments pay no heed to the chief minister.

Yet, all major parties want to be part of the government in Delhi. One reason for this is that forming the government in Delhi means not only acquiring administrative, decision-making powers but also being in the news consistently.

Being the national capital, Delhi is always on the radar of the media. The developments in Delhi draw nationwide attention. Social or political messaging to any part of the country can be done easily from Delhi. The Delhi government may be toothless, but the party in power in Delhi sets the national agenda. Developments in Delhi decide the political direction of the nation. We have seen central governments collapsing over issues like price rise or corruption in Delhi.

In short, Delhi is a high-visibility platform that no one wants to lose. The past two elections in Delhi were one-sided but this time the circumstances are a bit different. It was the issue of ending corruption that had led to the birth of AAP. But corruption is no longer an issue in national politics. Over the past couple of years, several corruption-related issues like the Rafale deal, giving undue advantage to certain big industrialists and electoral bonds have come to light. But the people seem to be unconcerned. They are probably convinced that corruption can never be uprooted

from this country.

Even more importantly, no political party, including AAP, is in a position to take a moral high ground on the issue of corruption. AAP can hardly talk about corruption now. Several top leaders of the party, including former chief minister Arvind Kejriwal, have spent time in prison on charges related to corruption. The BJP has come to be known as a washing machine that removes all stains of corruption. The Congress may talk about honesty and integrity in public life but the baggage of the many years it has spent in power frequently comes back to haunt the party.

Delhi's electoral arena thus is quite different from what it used to be. All the three major parties have hinged their hopes on schemes, which actually amount to offering bribes to voters. AAP, BJP and Congress are the three claimants to power in Delhi and each of them has one such scheme. The BJP is banking on Ladli Behna scheme, the Congress on Nyay Yojana under which money will be deposited directly in the bank accounts of women beneficiaries and the AAP has announced a dole of Rs 2,100 per month under the Mukhyamantri Mahila Samman Yojana. These schemes seem to be targeting women. But if you look carefully you will realize that they are actually targeting the poor voters and even among them, Dalit, OBC and Muslim women.

This time, too, Dalits hold the key to power in Delhi. A careful analysis of the agendas and the statements of the three major contenders would show that all of them are pinning their hopes on the Dalit voter. There are many reasons for this. To begin with, 12 of the 70 constituencies in Delhi are reserved for the Scheduled Castes (SC). But the 16.75 per cent SC population of the state is not confined to these 12 seats. There are at least 25 General seats where Dalit votes, along with votes of Muslims and some other communities, decide the poll outcome. Superficially, it may seem that OBCs, Punjabis and people from Purvanchal (eastern Uttar Pradesh and western Bihar)

call the shots in Delhi Assembly Elections. But the fact is that it is the Dalit and the Muslim votes that are decisive.

That brings us to the million dollar question which party is the preferred choice of the Dalits.

Until 2013, Dalits in Delhi voted for the Congress. When, for any reason, they turned against the Congress, the BJP was their second choice. In the 2013 elections, a new player AAP emerged in Delhi's political arena. And since then, AAP midwifed by Anna Hazare's anti-corruption agitation has been successfully garnering a majority of Dalit votes. The way the SC seats have gone post 2013 is ample evidence of this switchover by Dalit voters. In the 2008 elections, of the 12 reserved seats, nine went to the Congress and two to the BJP. In 2013, thanks to the Dalit voters shifting their loyalty to the newly formed AAP, the party won nine seats while the Congress drew a blank. In the 2015 and 2020 Assembly Elections, all the 12 SC seats fell into AAP's kitty.

Besides, Dalit voters played a key role in AAP victories in, among others, Babarpur, Ghonda, Shahdara, Patparganj, Tughlakabad, Malviya Nagar, Sangam Vihar, Palam, Najafgarh, Dwarka, Janakpuri, Wazirpur, Timarpur and Mundka seats. The party is hoping that the Dalit voters will continue in that fashion in the upcoming elections. But it is also true that in Delhi, on occasions, it is the outlook of some large and powerful caste groups that decides the voting preferences of the Dalits. In Lok Sabha elections in Delhi, a big chunk of the Dalit voters have been backing the BJP. This is clear from the results of the seven Lok Sabha constituencies in Delhi over the past three elections. Since 2014, the BJP has not lost in any of them. But come assembly and municipal elections, the very same Dalit votes move to AAP. The Congress is hopeful that in these elections, it will be able to make a comeback with the help of Muslim, Dalit and Sikh votes. The BJP, on the other hand, is banking on Savarna, Punjabi and Jat voters, as well as on some OBC castes such as Gujjar.

If the Congress makes a tenacious effort, the Delhi polls will become interesting. But a decent performance by the Congress is contingent upon the Dalits and the Muslims turning their back to AAP. If that happens, the polls may throw up a hung assembly. However, there is a disclaimer. The voting day is still a month away and a lot can happen in the interregnum.

जगत पाठक पत्रकारिता संस्थान, भोपाल

जगत पाठक पत्रकारिता संस्थान वर्ष 1998 से सतत् रूप से संचालित हो रहा है। इस संस्थान से अध्ययन कर छात्र-छात्राएं प्रिंट व इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में अच्छे पदों पर पदस्थ हैं। साथ ही साथ शासकीय पद पर आसीन होकर इस संस्थान को गौरवान्वित कर रहे हैं।

: विषय :

मास्टर ऑफ आर्ट जर्नलिज्म (2 वर्ष)

प्रवेश प्रारंभ

संपर्क सूत्र

विजया पाठक (संचालक) - 9826064596

अर्चना शर्मा - 9754199671

कार्यालय - कार्पोरेट कार्यालय - एफ 116/17, शिवाजी नगर, भोपाल, म.प्र.

संस्थान - 28, सुरभि विहार कालोनी, कालीबाड़ी, बी.डी.ए. रोड, भेल, भोपाल, म.प्र.